



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या : ए-१/ई-१/२०२५
दिनांक : २०/०२/२०२५

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.) परीक्षा-२०२५ तथा सहायक वन संरक्षक (ए.सी.एफ.) / द्वितीय वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) सेवा परीक्षा-२०२५

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: २०.०२.२०२५

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन

स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि: २४.०३.२०२५

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अंतिम तिथि: ०२.०४.२०२५

महत्वपूर्ण

- (1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
 (b) ऐसे अभ्यर्थी जिहोंने ओटी०आर० नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के ७२ घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटी०आर० नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।
 (c) ओटी०आर० नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

- (2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फीस भुगतान, फाइल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ़ व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
 (3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।
 (4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन—लाइन आवेदन की हार्ड—कॉपी के साथ ऑन—लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व—प्रमाणित प्रतियाँ आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। अभ्यर्थियों को O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [Website https://uppsc.up.nic.in](https://uppsc.up.nic.in) पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन—लाइन ही आवेदन करें।

ऑन—लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें—

आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

(i) User Instructions

(ii) View Advertisement

(iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन—लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा—निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन—लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

"ऑन—लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा—

प्रथम चरण – 'APPLY' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि—

(i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई—मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से **Authenticate** कर सकते हैं। **Authentication** की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को [PCS Examination-2025], [ACF/RFO Examination-2025] एवं [PCS/ACF/RFO Examination-2025(Both)] में से अपनी अर्हतानुसार किसी एक विकल्प का चयन करने के पश्चात पद के लिए केवल अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो—(a). सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। (b). ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण— प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर विलक्षण करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण— द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर विलक्षण करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे—

(I) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES.

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip'

प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'प्रिन्ट आइकन' पर विलक्षण करके अवश्य प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:- निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चूर्चा चरण— द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डेमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई-डब्ल्यूएस, क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) अपूर्ण ऑन—लाइन आवेदन—पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरान्त यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे प्रतिवारित (डिवार) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) उपरोक्त लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम ०५ वर्षों तक प्रतिवारित (डिवार) किया जा सकता है।

(5) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise (sync) करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. उ०प्र० लोक सेवा आयोग समिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा—2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा—2025, जिनका आयोजन आयोग द्वारा अलग—अलग किया जायेगा, में प्रवेश के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु विभिन्न जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। कतिपय पदों पर चयन उनकी सेवानियमावलियों में दी गई व्यवस्था के अनुसार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

4. रिक्तियों की संख्या:— वर्तमान में समिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा—2025 हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 200 है। सहायक वन संरक्षक पद के लिए रिक्तियों की संख्या 10 है तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी पद का अधियाचन प्राप्त होने पर इस परीक्षा में समिलित कर लिया जायेगा। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है। ₹० 9300—34800 ग्रेड पे ₹० 4600 (केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे ₹० 4200) से ₹० 15600—39100 ग्रेड पे ₹० 5400 तक (छठवें वेतन आयोग के अनुसार) के वेतनमान के पद समिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में समिलित किये जाते हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:—

डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीकार, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेन्ट कमिशनर (वाणिज्य कर), जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी (कोषागार), गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, अधीकारी कारागार, प्रबन्धक ऋण (लघु उद्योग), प्रबन्धक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण (लघु उद्योग), अधिशासी अधिकारी श्रेणी—१/सहायक नगर आयुक्त, जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, सहायक आयुक्त उद्योग (प्रवर्तन), सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी (कोषागार), वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्प संचयक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी (पंचायती राज), उप सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन), क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी (नगर विकास), जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी—२, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), यात्रीकर/मालकर अधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, लेखाधिकारी (स्थानीय निकाय), क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, सहायक निबन्धक (सहकारिता), उप निबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला प्रशासनिक आधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग), सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (ग्रेड—१ एवं ग्रेड—२), जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उपकारापाल, प्राविधिक सहायक (भू—भौतिकी), प्राविधिक सहायक (भूतत्व), व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक (राज्य सम्पत्ति विभाग), प्रबन्धक, रसायनज्ञ, विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) (खाद्य तथा ग्रामेयोग) एवं विधि अधिकारी। उपर्युक्त पदों में से जिन पदों के अधियाचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा हेतु समिलित कर लिया गया है शेष पदों में से स्नातक शैक्षक अर्हता के जो अधियाचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व तक प्राप्त हो जायेंगे, इस परीक्षा में समिलित किये जा सकते हैं।

सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा के अन्तर्गत वेतनमान, ग्रेड पे तथा पद की प्राप्ति निम्नवत् है:—

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान/ ग्रेड पे/ पद की प्राप्ति
1.	सहायक वन संरक्षक	₹० 15600/- से ₹० 39,100/- ग्रेड पे— ₹० 5400/- (लेवल—१० इन द पे मैट्रिक्स ५६,१००—१,७७,५००/-) समूह “ख” राजपत्रित।
2.	क्षेत्रीय वन अधिकारी	₹० 9300/- से ₹० 34,800/- ग्रेड पे— ₹० 4800/- (लेवल—८ इन द पे मैट्रिक्स ४७,६००—१,५१,१००/-) समूह “ख” राजपत्रित।

5. आरक्षण: उ०प्र० की अनुसूचित जातियों/उ०प्र० की अनुसूचित जनजातियों/उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों/उ०प्र० के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार शैक्षिक आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा—उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों, उ०प्र० के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट—(१) उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं० ५/२०२२/१८/१/२००८/४७/का—२/२०२२ दिनांक १८ अप्रैल, २०२२ के बिंदु—५ (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधिक निम्नानुसार किया गया है— दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

(२) शासनादेश संख्या ३९ रिट/का—२/२०१९ दिनांक २६ जून, २०१९ द्वारा शासनादेश संख्या १८/१/९९/का—२/२००६ दिनांक ९ जनवरी, २००७ के प्रस्तर ४ में दिये गये प्राविधिक, ‘यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है’, को रिट याचिका संख्या ११०३९/२०१८ विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ६ अन्य रिट याचिकाओं में मा० ०१ उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक १६.०१.२०१९ को अधिकारातीत (ULTRAVIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक ०९.०१.२००७ से प्रस्तर ०४ को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा० ०१ उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक १६.०१.२०१९ के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या ४७५/२०१९ में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(३) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण—पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय—ज्ञाप सं. -१/२०१९/४/१/२००२ /का—२/१९ टी.सी.—।।, दिनांक १८.०२.२०१९ के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

(४) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों/उ०प्र० के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण उ०प्र० के समाजीनियरिंग नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार शैक्षिक आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा—उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(५) उ०प्र० के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तियों के लिये आरक्षण उ०प्र० से स्वतंत्र आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

(६) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट—१ पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(७) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

(८) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।

(९) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के

7	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (सहकारिता)	<p>(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि में स्नातक की उपाधि।</p> <p>(ख) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का पूर्ण ज्ञान।</p> <p>अधिमानी— 1—प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि की सेवा की हो।</p> <p>या</p> <p>2—राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।</p>	<p>निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) तथा अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किये जायेंगे।</p> <p>(3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।</p> <p>(4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल U0P0 राज्य में लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।</p> <p>सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा में सम्मिलित पदों हेतु-</p> <p>(क) सहायक वन संरक्षक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताये— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कम से कम एक विषय अर्थात् वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान (Zoology), रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि या अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना आवश्यक है।</p> <p>समकक्ष अर्हता— जो उम्मीदवार उ0P0 राज्य वन सेवा नियमावली, 1993 (यथा संशोधित 2003 व 2014) में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखते हैं उन्हें मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए अपने आवेदन-पत्र के साथ भारत में केन्द्रीय अधिनियम अथवा संसद के किसी कानून द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय अथवा संसद के किसी कानून द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 के तहत मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि मौजूदा डिग्री, U0P0 राज्य वन सेवा नियमावली, 1993 (यथा संशोधित 2003 व 2014) के नियम-8 में विनिर्दिष्ट स्नातक उपाधि के समकक्ष है, ऐसा नहीं करने पर ऐसे उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।</p> <p>अधिमानी अर्हता— ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने (i) कम से कम 02 वर्षों तक प्रादेशिक सेना में सेवा की हो या (ii) एन.सी.सी. का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।</p> <p>(ख) क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताये— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान और पर्यावरण विषयों में से दो या अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में या अभियांत्रिकी में या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारक हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता द्वारा द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त करना चाहिए।</p> <p>समकक्ष अर्हता— जो उम्मीदवार उ0P0 वन विभाग क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखते हैं उन्हें मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए अपने आवेदन-पत्र के साथ भारत में केन्द्रीय अधिनियम अथवा संसद के किसी कानून द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय अथवा संसद के किसी कानून द्वारा स</p>
---	---	--	---

आबकारी निरीक्षक पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीना (से.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाने पर
(एक) पुरुष अभ्यर्थी	167	81.2	86.2
(दो) महिला अभ्यर्थी (अनु. जाति / अनु.जन जाति)	147		
(तीन) अन्य महिला अभ्यर्थियों हेतु	152		

उपकारापाल पद हेतु

अभ्यर्थियों की श्रेणी	ऊँचाई (से.मी. में)	सीने की माप (बिना फुलाए)	सीने का फुलाव न्यूनतम (से.मी.)
1- पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	168 से.मी.	81.3 से.मी.	05 से.मी.
2- महिला अभ्यर्थियों के लिए	152 से.मी.	वजन 45 से 58 कि.ग्रा.	

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में ऊँचाई की माप निम्नवत है:-

पुरुष-160 से.मी.

महिला-147 से.मी.

जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पुरुष अभ्यर्थी

1	ऊँचाई	सेंटीमीटर में (न्यूनतम)
(क)	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए	160.0 सेंटीमीटर
(ख)	पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	162.6 सेंटीमीटर
(ग)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	167.7 सेंटीमीटर

	सीना	बिना फुलाए हुए सेंटीमीटर में	फुलाने पर सेंटीमीटर में
(क)	अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	76.5 सेंटीमीटर	81.3 सेंटीमीटर
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	78.5 सेंटीमीटर	83.5 सेंटीमीटर

महिला अभ्यर्थी

	ऊँचाई	सेंटीमीटर में (न्यूनतम)
(क)	अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए	147.0 सेंटीमीटर
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	152.0 सेंटीमीटर

सहायक वन सरक्षक पद हेतु

न्यूनतम शारीरिक मानक :- (1) सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊँचाई व सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रूप से न्यूनतम मानक न रखता हो—

लिंग	ऊँचाई	सीने का घेरा (पूर्ण फुलाने के पश्चात)	विस्तार
1	2	3	4
पुरुष	163 सेमी.	84 सेमी.	5 सेमी.
महिला	150 सेमी.	79 सेमी.	5 सेमी.

परन्तु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, मेघालयी जनजाति, लद्धाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, नागा और अरुणांचल प्रदेश के मूलवंश के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊँचाई का मानक निम्न प्रकार होगा—

लिंग	ऊँचाई
1	2
पुरुष	152.5 सेमी.
महिला	145.0 सेमी.

(2) पुरुष अभ्यर्थियों से चार घन्टों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थियों से चार घन्टे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी। इस परीक्षण के संचालन की व्यवस्था मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी जिससे कि इसे चिकित्सा परिषद की बैठक के साथ—साथ किया जा सके।

क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु

(1) सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊँचाई व सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो—

लिंग	ऊँचाई	सीने का घेरा (पूर्ण फुलाने के पश्चात)	विस्तार
1	2	3	4
पुरुष	163 सेमी.	84 सेमी.	5 सेमी.
महिला	150 सेमी.	79 सेमी.	5 सेमी.

परन्तु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊँनी मूलवंश के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊँचाईयों का मानक निम्न प्रकार होगा—

लिंग	ऊँचाई
1	2
पुरुष	152.5 सेमी.
महिला	145.0 सेमी.

(2) पुरुष अभ्यर्थियों से चार घन्टों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर की और महिला अभ्यर्थियों से चार घन्टे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी। इस परीक्षण की व्यवस्था प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा इस प्रकार की जायेगी कि चिकित्सा परिषद की बैठक के साथ समन्वय स्थापित रहे।

शारीरिक स्वस्थता:- सहायक वन संरक्षक पद हेतु (1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष

से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षण की उत्तीर्ण कर ले। (2) किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर बारह सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाये जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जायेगा। प्रसूति के दिनांक से 7: सप्ताह पश्चात् स्वस्थता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जायेगा।

क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु: (1) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से अस्वस्थ घोषित हो। (2) किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाये जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जायेगा। प्रसूति के दिनांक से 06 सप्ताह पश्चात् स्वस्थता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जायेगा।

नोट:- अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व भलीभांति यह सुनिश्चित कर लें कि वे उपर्युक्त शारीरिक योग्यतायें रखते हैं।

10. आयु सीमा:- (1) अभ्यर्थीयों को 01 जुलाई, 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1985 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में

(10) याचिका सं० (सी०) 165 / 2005 संजय सिंह बनाम उ०प्र० लोक सेवा आयोग व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश का अनुपालन किया जाएगा।

(11) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(12) अभ्यर्थी ओंप्रमात्र उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्लाइट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(13) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधित गोलों को काला करके सही—सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर हवाइटर, ब्लैड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदाती होगा।

(14) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मा० आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति—गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति—हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति—नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति—नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।

(15) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी:— 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1 / 3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(16) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(17) अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

(18) प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। अतः यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualify) हो जायेगा। अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

(19) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

(20) **यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।**

(21) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1— अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जाएंगे।

2— सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3— आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमत्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।

4— आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अहं हैं। पद के लिए वांछित सभी अहंताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या—453/79-वी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6— यदि अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

7— आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। प्रारम्भिक परीक्षा की परीक्षा योजना परिशिष्ट-2 पर, प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-3 पर तथा सम्बन्धित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अनुदेश एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है। सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट 5 एवं 6 पर उपलब्ध है। पद संबंधी संगत सेवा नियमावलियों का विवरण परिशिष्ट-7 उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make possible the submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name.

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

-:-NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

•All Notification/Advertisements

-:-ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

•Candidate Registration

•Fee Deposition /Reconciliation

•Submit Application Form

•Modify Submitted Application

•Candidate Dashboard (OTR Based)

<p>तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद कानाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।</p> <p style="text-align: center;">(प्रपत्र-I) उत्तर प्रदेश सरकार</p> <p>कार्यालय का नाम..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण—पत्र प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक</p> <p>वित्तीय वर्ष..... के लिए मान्य प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... पुत्र/ पति/ पुत्री..... ग्राम/ कस्बा..... पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला .. राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्राणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-</p> <p>I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीटअथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px;">आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्राणित फोटोग्राफ</p> <p>हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।</p>	<p>permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:</p> <p>(A) he/she is a case of: <input type="checkbox"/> locomotor disability <input type="checkbox"/> dwarfism <input type="checkbox"/> blindness (Please tick as applicable)</p> <p>(B) The diagnosis in his/her case is.....</p> <p>(A) he/she has % (in figure) percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).</p> <p>2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nature of Document</th> <th style="text-align: left;">Date of Issue</th> <th colspan="3">Details of authority Issuing certificate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. Signature and seal of the Medical Authority.</td> <td>(Dr.)</td> <td>(Dr.)</td> <td>(Dr.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Member</td> <td>Member</td> <td>Chairperson</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medical Board</td> <td>Medical Board</td> <td>Medical Board</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>with seal</td> <td>with seal</td> <td>with seal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Form-III Certificate of Disability (In cases of multiple disabilities) (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right;">Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability</p> <p>Certificate No. Date: This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum son/wife/ daughter of Shri Date of birth (DD/MM/YY) age years, male/ female Registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post Office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:</p> <p>(A) he/she is a case of</p> <p>Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">S. No.</th> <th style="text-align: left;">Disability</th> <th style="text-align: left;">Affected part of body</th> <th style="text-align: left;">Diagnosis</th> <th style="text-align: left;">Permanent physical/impairment/mental disability (in %)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Locomotor disability</td> <td>@</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Muscular Dystrophy</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Leprosy Cured</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Dwarfism</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Cerebral Palsy</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Acid attack Victim</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Low Vision</td> <td>#</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Blindness</td> <td>#</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Deaf</td> <td>£</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Hard of Hearing</td> <td>£</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Speech and Language disability</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Intellectual Disability</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Specific Learning Disability</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Autism Spectrum Disorder</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>Mental illness</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Chronic Neurological Conditions</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Multiple sclerosis</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Parkinson's disease</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>Haemophilia</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.</td> <td>Thalassemia</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.</td> <td>Sickle Cell disease</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>उत्तर प्रदेश के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण—पत्र (दिव्यांगजन प्रारूप) Form-II Certificate of Disability (In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10%;">Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability</p> <p>Certificate No. Date: This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No.</p>	Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate			3. Signature and seal of the Medical Authority.	(Dr.)	(Dr.)	(Dr.)		Member	Member	Chairperson			Medical Board	Medical Board	Medical Board			with seal	with seal	with seal			Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)				S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/mental disability (in %)	1.	Locomotor disability	@			2.	Muscular Dystrophy				3.	Leprosy Cured				4.	Dwarfism				5.	Cerebral Palsy				6.	Acid attack Victim				7.	Low Vision	#			8.	Blindness	#			9.	Deaf	£			10.	Hard of Hearing	£			11.	Speech and Language disability				12.	Intellectual Disability				13.	Specific Learning Disability				14.	Autism Spectrum Disorder				15.	Mental illness				16.	Chronic Neurological Conditions				17.	Multiple sclerosis				18.	Parkinson's disease				19.	Haemophilia				20.	Thalassemia				21.	Sickle Cell disease			
Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate																																																																																																																																																
.....																																																																																																																																														
3. Signature and seal of the Medical Authority.	(Dr.)	(Dr.)	(Dr.)																																																																																																																																															
Member	Member	Chairperson																																																																																																																																																
Medical Board	Medical Board	Medical Board																																																																																																																																																
with seal	with seal	with seal																																																																																																																																																
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)																																																																																																																																																	
S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/mental disability (in %)																																																																																																																																														
1.	Locomotor disability	@																																																																																																																																																
2.	Muscular Dystrophy																																																																																																																																																	
3.	Leprosy Cured																																																																																																																																																	
4.	Dwarfism																																																																																																																																																	
5.	Cerebral Palsy																																																																																																																																																	
6.	Acid attack Victim																																																																																																																																																	
7.	Low Vision	#																																																																																																																																																
8.	Blindness	#																																																																																																																																																
9.	Deaf	£																																																																																																																																																
10.	Hard of Hearing	£																																																																																																																																																
11.	Speech and Language disability																																																																																																																																																	
12.	Intellectual Disability																																																																																																																																																	
13.	Specific Learning Disability																																																																																																																																																	
14.	Autism Spectrum Disorder																																																																																																																																																	
15.	Mental illness																																																																																																																																																	
16.	Chronic Neurological Conditions																																																																																																																																																	
17.	Multiple sclerosis																																																																																																																																																	
18.	Parkinson's disease																																																																																																																																																	
19.	Haemophilia																																																																																																																																																	
20.	Thalassemia																																																																																																																																																	
21.	Sickle Cell disease																																																																																																																																																	

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after..... years.....

months, and therefore this certificate shall be valid till (DD) (MM) (YY)

@ -e.g. Left/right/both arms/legs

-e.g. Single eye

£ -e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)	

**Form-IV
Certificate of Disability**

(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined

Shri/Smt./Kum..... son/wife/daughter of Shri Date of birth (DD/MM/YY) age years, male/female..... Registration No..... permanent resident of House No..... Ward/Village/Street..... Post Office..... District..... State..... whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :-

(i) not necessary.

or
(ii) is recommended/afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)	

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण—पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी निवासी ग्राम

तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा

(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधिकानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

सील

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र जो उ.प. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या—22/21/1983—कार्मिक—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण—पत्र के फार्म — 1 से 4

प्रारूप — 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की

सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी

पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण—पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के

आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक नाम

पद

संस्था का नाम

मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता

में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की

सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा

पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) की

प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण—पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक नाम

पद

संस्था का नाम

मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र प्रदेशीय खेल—कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप — 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्रिव्वश्वविद्यालय प्रतियोगिता

में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल

खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवास

(पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से

दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्रिव्वश्वविद्यालय (क्रीड़ा /

खेल—कूद का नाम) प्रत

द्वारा उक्त प्रतियोगिता / दूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता / दूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / दूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण—पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक नाम
पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट : यह प्रमाण—पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट-2

परीक्षा की योजना

समिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर समिलित हैं।

यथा:- (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार की),

(2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा)

(3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)

प्रारम्भिक परीक्षा

समिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा 0हेतु प्रारम्भिक परीक्षा दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों की होगी। जिनके उत्तर पत्रक ओ. एम. आर. सीट के रूप में होंगे। प्रारम्भिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में उल्लिखित है। प्रत्येक प्रश्न-पत्र 200 अंकों के तथा दो-दो घण्टे अवधि के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार के होंगे जिनमें क्रमशः 150 व 100 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र पूर्वाहन 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्नपत्र अपराह्न 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक।

नोट: (1) प्रारम्भिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्नपत्र अर्हकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्रों में समिलित होना बाध्यकारी है। अतएव यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्नपत्रों में समिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (disqualified) हो जायेगा। (3) अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम (Merit) का निर्धारण उनके प्रारम्भिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

2. समिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए निर्धारित विषय:

मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट-4 में उल्लिखित है।

(अ) अनिवार्य विषय		
1. सामान्य हिन्दी	परम्परागत	150 अंक
2. निबन्ध	परम्परागत	150 अंक
3. सामान्य अध्ययन - I	परम्परागत	200 अंक
4. सामान्य अध्ययन - II	परम्परागत	200 अंक
5. सामान्य अध्ययन - III	परम्परागत	200 अंक
6. सामान्य अध्ययन - IV	परम्परागत	200 अंक
7. सामान्य अध्ययन - V	परम्परागत	200 अंक
8. सामान्य अध्ययन - VI	परम्परागत	200 अंक

नोट: सभी प्रश्न पत्र परम्परागत (Conventional) प्रकार के होंगे। इन प्रश्न-पत्रों के हल करने की अवधि 3 घण्टे होंगी। प्रश्नपत्रों का परीक्षा समय पूर्वाहन 9:30 बजे से 12:30 बजे तक तथा अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। अभ्यर्थी से सामान्य हिन्दी के प्रश्न-पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेगे।

(ब) व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार (कुल अंक 100)

यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुये सामान्य अभिरुचि के विषयों से सम्बन्धित होगी।

परिशिष्ट-3

समिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा दोनों से सम्बन्धित प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र-1

(सामान्य अध्ययन- I)

अवधि—दो घण्टे
अंक – 200

— राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं पर

- भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
- भारत एवं विश्व का भूगोल— भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल
- भारतीय राजनीति एवं शासन— संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारिक मुद्रे (राइट्स इश्यूज) आदि
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास— सतत विकास, गरीबी, अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि
- पर्यावरण एवं परिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है
- सामान्य विज्ञान
- राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं: राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी।
- भारत का इतिहास एवं भारतीय आन्दोलन: इतिहास के अन्तर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अन्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है।
- भारत एवं विश्व का भूगोल: भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल: विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।
- भारतीय राजनीति एवं शासन— संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि: भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अन्तर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे।
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास— सतत विकास, गरीबी अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि: अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा।
- पर्यावरण एवं परिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन: इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है।
- सामान्य विज्ञान: सामान्य विज्ञान के

सामान्य हिन्दी (हाइस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

- (1) हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह
- (2) शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ
- (3) शब्द—रूप
- (4) संधि, समास
- (5) क्रियायें
- (6) अनेकार्थी शब्द
- (7) विलोम शब्द
- (8) पर्यायवाची शब्द
- (9) मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ
- (10) तत्सम एवं तदभव, देशज, विदेशी (शब्द भंडार)
- (11) वर्तनी
- (12) अर्थबोध
- (13) हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ
- (14) उ०प्र० की मुख्य बोलियाँ

परिशिष्ट-4

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु निर्देश तथा पाठ्यक्रम

1. आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देंगे। किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
2. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें अन्यथा दण्डस्वरूप उनके अंकों में कटौती की जायेगी। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम न लिखें अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिये अनर्ह घोषित किया जा सकता है। 3. यदि अभ्यर्थी की हस्तालिपि अस्पष्ट/अपठनीय है तो उसके प्राप्तांकों के कुल योग में से कटौती की जा सकती है। 4. अभ्यर्थी प्रश्न—पत्रों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि में अथवा हिन्दी देवनागरी लिपि में अथवा उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं परन्तु उन्हें भाषा के प्रश्न—पत्र का उत्तर जब तक की प्रश्न में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा। 5. प्रश्न—पत्र केवल अंग्रेजी लिपि में व हिन्दी देवनागरी लिपि में होंगे। 6. सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न—पत्रों का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण के अतिरिक्त, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी से अपेक्षित स्तर का होगा।

सामान्य हिन्दी

- (1) दिये हुए गद्य खण्ड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। (2) संक्षेपण। (3) सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। (4) शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। (अ) उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, (ब) विलोम शब्द, (स) वाक्यांश के लिए एकशब्द, (द) वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, (५) लोकोक्ति एवं मुहावरे।

निबन्ध

निबन्ध हिन्दी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं।

निबन्ध के प्रश्न—पत्र में 3 खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड से एक—एक विषय पर 700 (सात सौ) शब्दों में निबन्ध लिखना होगा। प्रत्येक खण्ड 50—50 अंकों का होगा। तीनों खण्डों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबन्ध के प्रश्न होंगे।

खण्ड (क)

- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. साहित्य और संस्कृति | 1. विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी | 1. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम |
| 2. सामाजिक क्षेत्र | 2. आर्थिक क्षेत्र | 2. प्राकृतिक आपदाएँ भू—स्खलन भूकम्प, बाढ़, सूखा, आदि। |
| 3. राजनैतिक क्षेत्र | 3. कृषि उद्योग एवं व्यापार | 3. राष्ट्रीय विकास योजनाएँ एवं परियोजनाएँ |

खण्ड (ग)

4. खण्डत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन (1965 ई0 तक)।
5. विश्व के इतिहास में 18 वीं सदी से बीसवीं सदी के मध्य तक की घटनाएँ जैसे फ्रांसीसी क्रान्ति 1789, औद्योगिक क्रान्ति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, यौजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे।
6. भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएँ।
7. महिला—समाज और महिला—संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा सम्बद्ध समस्याएँ, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और समाधान।
8. उदारांकरण, निजीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव।
9. सामाजिक सशक्तीकरण, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।
10. विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण—जल, मिटियाँ एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में (भारत के विशेष संदर्भ में)।
11. भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएँ—भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएँ, चक्रवात, समुद्री जल धाराएँ, पवन एवं हिम सरिताएँ।
12. भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता।
13. मानव प्रवास—विश्व की शरणार्थी समस्या—भारत—उपमहाद्वीप के संदर्भ में।
14. सीमान्त तथा सीमाएँ—भारत उप—महाद्वीप के संदर्भ में।
15. जनसंख्या एवं अधिवास—प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्टार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम।

सामान्य अध्ययन-1

1. भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका।
2. संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियाँ।
3. केन्द्र—राज्य वित्तीय सम्बन्धों में वित्त आयोग की भूमिका।
4. शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग।
5. भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना।
6. संसद और राज्य विधायिका—संरचना, कार्य—संचालन, शक्तियों एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय।
7. कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य—सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह

और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहित याचिका (पी0आई0एल0)।

8. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ।
9. विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व।
10. सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्थ—न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत—उनके विशेषताएँ एवं कार्यभाग।
11. सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्रे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0)।
12. विकास प्रक्रियाएँ—गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएँ, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक।
13. केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य—निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
14. स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।
15. गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ।
16. शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई—गवर्नेंस—अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय।
17. लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका।
18. भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध।

19. द्विधीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कार्य।
20. भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकासित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
21. महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच—उनके संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्य भाग।
22. क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम।

सामान्य अध्ययन-11

1. भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियों, नीति (एन0आई0टी0आई0) आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य (एस0टी0जी0)।
2. गरीबी के मुद्रे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास।
3. सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली।
4. प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, दुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई—तकनीकी।
5. अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्रे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली—उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएँ, सुदृढ़ीकरण खाद्य सुरक्षा एवं बफर भण्डार, कृषि में तकनीकी अभियान।
6. भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग—कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उर्ध्व व अधोप्रवाह आवश्यकताएँ, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
7. भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार।
8. भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव।
9. आधारभूत संरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि।
10. विज्ञान ए

11. उ०प्र० में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव।
12.उ०प्र० में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे:-
(i) उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच सम्बन्ध।
(ii) बाह्य, राज्य एवं अन्तर राज्यीय सक्रियों से आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका।
(iii) साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, कालेघन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम।
(iv) विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ और उनके शासनादेश / अधिकार-पत्र।
(v) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबन्धन, संगठित अपराधों का आंतकवाद से संबंध।
13. उ०प्र० में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा।
14. उ०प्र० में स्वारक्ष्य एवं विकितसीय मुद्दे।
15. उ०प्र० में शिक्षा प्रणाली।
16. भारत के विकास में उ०प्र० की भूमिका।
17. उ०प्र० की समसामयिक घटनाएं।
18. जल शक्ति मिशन एवं अन्य केन्द्रीय योजनायें एवं उनका क्रियान्वयन।
19. उ०प्र० में गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.): मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव।
20. उ०प्र० में पर्यटन: मुद्दे एवं सम्भावनायें।
21. उ०प्र० में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार: इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव।

सामान्य अध्ययन – VI

- उ०प्र० का आर्थिक परिदृश्य : अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढाँचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व।
- उ०प्र० का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग।
- उ०प्र० सरकार की लोक कल्यानकारी योजनाएँ, परियोजनाएँ एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास।
- उ०प्र० में निवेश: मुद्दे एवं प्रभाव।
- उ०प्र० की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति।
- उ०प्र० में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबन्धन।
- उ०प्र० की जनांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना।
- उ०प्र० में कृषि का व्यावसायिकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन।
- उ०प्र० की नवीन वानिकी नीति।
- उ०प्र० की कृषि एवं सामाजिक वानिकी।
- उ०प्र० में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएँ एवं उनका समाधान।
- उ०प्र० के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक।
- उ०प्र० का भूगोल- भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति।
- उ०प्र० में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य।
- उ०प्र० में परिवहन तंत्र।
- उ०प्र० में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना।
- उ०प्र० में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य।
- उ०प्र० के प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, वायु, वन, घास-मैदान, आद्रभूमि।
- उ०प्र० के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से सम्बन्धित मुद्दे।
- उ०प्र० के सन्दर्भ में अधिवास परिस्थितिकी तंत्र-संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव-जन्तु एवं वनस्पतियाँ।
- उ०प्र० में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न।
- उ०प्र० में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा उ०प्र० के विकास में इनका प्रभाव।
- उ०प्र० के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

परिशिष्ट-5

सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा से सम्बन्धित मुख्य (लिखित) परीक्षा की परीक्षा

योजना एवं पाठ्यक्रम

मुख्य(लिखित) परीक्षा की परीक्षा योजना

क्र०	प्रश्न-पत्र	समावयि	पूर्णांक
01	पेपर-। सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध (परम्परागत)	3.00 घण्टे	200 अंक
02	पेपर-॥ सामान्य अध्ययन प्रथम (वस्तुनिष्ठ)	2.00 घण्टे	200 अंक
03	पेपर-॥। सामान्य अध्ययन द्वितीय (वस्तुनिष्ठ)	2.00 घण्टे	200 अंक
04	पेपर-IV वैकल्पिक विषय प्रथम (परम्परागत) (प्रथम प्रश्नपत्र)	3.00 घण्टे	200 अंक
	पेपर-V वैकल्पिक विषय प्रथम (परम्परागत) (द्वितीय प्रश्नपत्र)	3.00 घण्टे	200 अंक
05	पेपर-VI वैकल्पिक विषय द्वितीय (परम्परागत) (प्रथम प्रश्नपत्र)	3.00 घण्टे	200 अंक
	पेपर-VII वैकल्पिक विषय द्वितीय (परम्परागत) (द्वितीय प्रश्नपत्र)	3.00 घण्टे	200 अंक
सभी प्रश्नपत्रों के कुल अंकों का योग			1400 अंक
व्यवित्तत्व परीक्षण (साक्षात्कार):- 150 अंक			

सम्पूर्ण योग 1400+150 = 1550

वैकल्पिक विषयों में निम्नलिखित कुल 16 विषय समिलित हैं, जिनमें से अभ्यार्थियों को कोई 02 वैकल्पिक विषय लेने होंगे:-

1. कृषि विज्ञान

2. कृषि इंजीनियरिंग

3. वनस्पति विज्ञान

4. रसायन विज्ञान

5. रसायन इंजीनियरिंग

6. सिविल इंजीनियरिंग

7. वानिकी

8. भू-विज्ञान

9. गणित

10. यांत्रिकी इंजीनियरिंग

11. भौतिकी

12. सांख्यिकी

प्राणि विज्ञान

पशुपालन एवं पशु विकितसा विज्ञान

उद्यान विज्ञान

पर्यावरण विज्ञान

किन्तु शर्त यह है कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी:-

(क) कृषि विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग एवं उद्यान विज्ञान

(ख) गणित एवं सांख्यिकी

(ग) रसायन विज्ञान और रसायन इंजीनियरिंग

(घ) इंजीनियरिंग विषयों जैसे कृषि इंजीनियरिंग, रसायन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा यांत्रिक इंजीनियरिंग में से एक से अधिक विषय नहीं।

नोट:- ऊपर लिखे विषयों का स्तर और पाठ्य विवरण इस विज्ञापन के परिशिष्ट-6 की अनुसूची में दिया गया है।

परिशिष्ट-6

सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा की मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु सामान्य अनुदेश एवं पाठ्यक्रम

1. मुख्य (लिखित) परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न-पत्र परम्परागत (निबन्ध शैली) प्रकार के होंगे किन्तु सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

2. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में ही लिखने होंगे। प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

3. ऊपर उल्लिखित प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए तीन घण्टे का समय दिया जायेगा किन्तु सामान्य अध्ययन हेतु दो घण्टे का समय दिया जायेगा।

व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवारों का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जायेगा। व्यवित्तत्व परीक्षण-150 अंकों का होगा।

अनुसूची

सामान्य हिन्दी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्रों का स्तर ऐसा होगा जिसकी भारतीय विश्वविद्यालय के विज्ञान या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से आशा की जाती है।

इस परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न-पत्र के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे अर्थात् बैचलर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री से कुछ कम। इंजीनियरिंग विषयों के मामले में यह स्तर बैचलर डिग्री का होगा। किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं ली जायेगी।

वैकल्पिक विषय

वैकल्पिक विषयों के प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की कुल संख्या आठ होगी। सभी प्रश्नों के अंक बराबर होंगे। प्रत्येक प्रश्न-पत्र के दो भाग होंगे अर्थात् भाग (क) और भाग (ख)। प्रत्येक भाग में चार प्रश्न होंगे। आठ प्रश्नों में से पाँच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक भाग में एक प्रश्न अनिवार्य होगा।

प्रत्येक भाग से कम से कम एक-एक प्रश्न लेते हुए उम्मीदवारों को शेष छः प्रश्नों में से तीन और प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस प्रकार प्रत्येक

पतवारों का कर्षण, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण। मृदा—भौतिक, रसायनिक तथा जैविक गुण मृदा रचना के प्रक्रम तथा कारक भारतीय मृदाओं का आधुनिक वर्गीकरण मृदा के खनिज तथा कार्बनिक संघटक और मृदा की उत्पादकता बनाये रखने में उनकी भूमिका पौधों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ तथा मृदा और पौधों के अन्य लाभकारी तत्व मृदा उर्वरता के सिद्धान्त तथा विवेकपूर्ण उर्वरक प्रयोग और समाकलित पोषक प्रबन्ध का मूल्यांकन, मृदा में नाइट्रोजन की हानि, जल मग्न धान—मृदा में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता, मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण, मृदाओं में फासफोरस तथा पोटेसियम का यौगिकीकरण तथा उनका दक्ष उपयोग समस्याजनक मृदायें तथा उनके सुधार के तरीके।

जल विभाजन के आधार पर मृदा संरक्षण योजना पर्यायी, गिरिपादों तथा घाटियों में अपरदन तथा अपवाह प्रबन्ध; इनको प्रभावित करने वाले प्रक्रम तथा कारक, बारानी कृषि तथा उससे सम्बन्धित समस्याएं, वर्षा पोषित कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की प्रौद्योगिकी। सस्य उत्पादन से सम्बन्धित जल उपयोग क्षमता, सिंचाई कार्यक्रम के मानदण्ड, सिंचाई जल की अपवाह हानि को कम करने की विधियाँ तथा साधन (उपाय) ड्रिप (टपकाकर) तथा छिड़काव द्वारा सिंचाई जलाकांत भूमि से जल का निकास, सिंचाई जल की गुणवत्ता, मृदा तथा जल प्रदूषण पर औद्योगिक बहिस्त्रावों का प्रभाव।

फार्म प्रबन्ध, विषम क्षेत्र, महत्व तथा विशेषताएं, फार्म आयोजना, संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा बजट बनाना विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की अर्थ व्यवस्था।

कृषि निवेशों और उत्पादों का विपणन और मूल्य निर्धारण, मूल्य उत्तर-चढ़ाव तथा उनकी लागत; कृषि अर्थ व्यवस्था में सहकारी संस्थाओं की भूमिका; कृषि के प्रकार तथा प्रणालियों और उसको प्रभावित करने वाले कारक।

कृषि विस्तार, इसका महत्व तथा भूमिका, कृषि विस्तार कार्यक्रमों के मूल्यांकन की विधियाँ, सामाजिक, आर्थिक संरक्षण तथा छोटे-बड़े और सीमान्त कृषकों व भूमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति, फार्म यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादन और ग्रामीण रोजगार में उनकी भूमिका विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम।

कृषि विज्ञान

प्रश्न पत्र-2

कोशिका सिद्धान्त, कोशिका संरचना, कोशिका अंगक तथा उनके कार्य, कोशिका विभाजन, न्यूक्लीक अम्ल—संरचना तथा कार्य, जीन संरचना तथा उनका कार्य, आनुवंशिकता के नियम तथा पादप प्रजनन में उनकी सार्थकता गुण सूत्र (क्रोमोसोम) संरचना, गुण सूत्र विपथन, सहलगनता एवं जीन विनियम तथा पुनर्जोन प्रजनन में उनकी सार्थकता बहुगुणिता, सुगुणित तथा असुगुणित सूक्ष्म एवं गुरु उत्परिवर्तन तथा फसल सुधार में उनकी भूमिका विविधता, विविधता के घटक वंशागतित्व, बन्ध्यता तथा असंयोज्यता, वर्गीकरण तथा फसल सुधार में उनका अनुप्रयोग कोशिकाद्वयी वंशागति, लिंग सहलगन, लिंग प्रभावित तथा लिंग सीमित लक्षण। पादप प्रजनन का इतिहास जनन की विधियाँ, स्वनिसेचन तथा संकरण तकनीकें फसली पौधों का उद्भव एवं विकास, उद्भव का केन्द्र, समजात श्रेणी के नियम, सस्य आनुवंशिक संसाधन—संरक्षण तथा उपयोग प्रमुख फसलों के सुधार में पादप प्रजनन के सिद्धान्तों का अनुप्रयोग शुद्ध वंशशक्ति वरण, वंशावली, समूह तथा पुनरावर्ती वरण, संयोजी क्षमता, पादप प्रजनन में उसका महत्व, संकर ओज एवं उसका उपयोग, प्रजनन की प्रतीप संकरण विधि, रोग एवं पीड़क प्रतिरोध के लिए प्रजनन अन्तर्राजातीय तथा अन्तर्राजांशीय संकरण की भूमिका पादप प्रजनन में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका विभिन्न फसली पौधों की उन्नत किस्में, संकर, मिश्र। बीज प्रौद्योगिकी एवं उसका महत्व, विभिन्न प्रकार के बीज तथा बीज उत्पादन और संसाधन की तकनीकें भारत में बीज उत्पादन, संसाधन तथा विपणन में सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भूमिका। शरीर क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व अंतः शोषण, पृष्ठ तनाव, विषरण और पराषरण, जल का अवशोषण और स्थानान्तरण, वाष्पोत्सर्जन और जल की मितव्ययिता। प्रक्रिया (एन्जाइम) और पादक वर्णक; प्रकाश संश्लेषण आधुनिक संकल्पनायें और इसके प्रक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, अकरी व अनाकरी श्वसन; सी-3, सी-4 तथा सी-एएम क्रिया विधि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपायचय। वृद्धि व परिवर्धन, दिपिकालिता और बसरतीकरण आक्सिन, हार्मोन और अन्य पादप नियामक—इनकी क्रिया की क्रिया विधि तथा कृषि महत्व, बीज परिवर्धन तथा अंकुरण की कार्यकी; प्रसूति जलवायीय आवश्यकतायें तथा प्रमुख फलों, सब्जियों और पुष्पी पौधों का कर्षण; पैकेज रीतियाँ और उनका वैज्ञानिक आधार फलों व सब्जियों के संभलाव तथा विपणन की समस्यायें महत्वपूर्ण फलों तथा सब्जियों के उत्पादों के परीक्षण की मुख्य विधियाँ, संसाधन तकनीकें तथा उपस्कर, मानव पोषण में फलों और सब्जियों की भूमिका, शोभाकारी पौधों को उगाना, लॉन और बाग—बगीचों का अभिकल्पन तथा अभिविन्यास। भारत में सब्जियों, फलद्वारानों और रोपण फसलों की बीमारियों और पीड़क (नाशक जीन) पादप पीड़कों तथा बीमारियों के कारण तथा वर्गीकरण पादप पीड़कों तथा बीमारियों के नियंत्रण के सिद्धान्त पीड़कों और रोगों का जैविक नियंत्रण पीड़कों व रोगों का समाकलित प्रबन्ध जानप्रदिक रोग निदान एवं पूर्वानुमान पीड़कनासियों, संरूपण एवं क्रिया विधि, राइजोवियमि निवेश द्रव्य के साथ उनकी संगतता, सूक्ष्म जीवी अविष। अनाज व दालों के भण्डार पीड़क तथा रोग और उनका नियंत्रण। भारत में खाद्य उत्पादन तथा उपयोग की प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय खाद्य नीतियाँ उत्पादन प्राप्ति वितरण और संसाधन के अवशोध राष्ट्रीय आहार प्रतिमान से खाद्य उत्पादनों का सम्बन्ध, कैलेरियों और प्रोटीन की विशेष कमियाँ।

कृषि इंजीनियरिंग

प्रश्न पत्र-1

खण्ड-ख

1. मृदा तथा जल संरक्षण : मृदा तथा जल संरक्षण का क्षेत्र भूमि कटाव की प्रक्रिया तथा प्रकार और उनके कारण वर्षा, अपवाह तथा अवसादन सापेक्षता और उनका मापन भूमि कटाव के जैविक तथा अभियांत्रिकी नियंत्रक उपाय जिनमें धारा—किनारा संरक्षण, वनस्पतिक (विजिटेटिव) अवरोधक, समोच्च वांध, समोच्च खाइयॉ, समोच्च पथरीली दीवारें, वेदिकाएं (ट्रेस), निकासी तथा धासाच्छादित जलमार्ग शामिल हैं, नाली नियंत्रण संरचनाएं—अस्थायी तथा स्थायी—स्थायी मृदा संरचनाएं जैसे ढलवीं नाली (शूट), जलप्रपात तथा वेग—नियंत्रक, उत्थलव मार्ग का अभिकल्पन तथा अर्द्धता साधारण तथा अन्तर्राजातीय तथा अन्तर्राजांशीय संकरण की भूमिका पादप प्रजनन में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका विभिन्न फसली पौधों की उन्नत किस्में, संकर, मिश्र। बीज प्रौद्योगिकी एवं उसका महत्व, विभिन्न प्रकार के बीज तथा बीज उत्पादन और संसाधन की तकनीकें भारत में बीज उत्पादन, संसाधन तथा विपणन में सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भूमिका। शरीर क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व अंतः शोषण, पृष्ठ तनाव, विषरण और पराषरण, जल का अवशोषण और स्थानान्तरण, वाष्पोत्सर्जन और जल की मितव्ययिता। प्रक्रिया (एन्जाइम) और पादक वर्णक; प्रकाश संश्लेषण आधुनिक संकल्पनायें और इसके प्रक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, अकरी व अनाकरी श्वसन; सी-3, सी-4 तथा सी-एएम क्रिया विधि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपायचय। वृद्धि व परिवर्धन, दिपिकालिता और बसरतीकरण आक्सिन, हार्मोन और अन्य पादप नियामक—इनकी क्रिया की क्रिया विधि तथा कृषि महत्व, बीज परिवर्धन तथा अंकुरण की कार्यकी; प्रसूति जलवायीय आवश्यकतायें तथा प्रमुख फलों, सब्जियों और पुष्पी पौधों का कर्षण; पैकेज रीतियाँ और उनका वैज्ञानिक आधार फलों व सब्जियों के संभलाव तथा विपणन की समस्यायें महत्वपूर्ण फलों तथा सब्जियों के उत्पादों के परीक्षण की मुख्य विधियाँ, संसाधन तकनीकें तथा उपस्कर, मानव पोषण में फलों और सब्जियों की भूमिका, शोभाकारी पौधों को उगाना, लॉन और बाग—बगीचों का अभिकल्पन तथा अभिविन्यास। भारत में सब्जियों, फलद्वारानों और रोपण फसलों की बीमारियों और पीड़क (नाशक जीन) पादप पीड़कों तथा बीमारियों के कारण तथा वर्गीकरण पादप पीड़कों तथा बीमारियों के नियंत्रण के सिद्धान्त पीड़कों और रोगों का जैविक नियंत्रण पीड़कों व रोगों का समाकलित प्रबन्ध जानप्रदिक रोग निदान एवं न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम, अंतःकाय, लयनकाय, पराकारीसोम हाइड्रोजिनोसोम) की संरचना और कार्य, केन्द्रक, केन्द्रिक, केन्द्रकी रंग समिश्र, क्रोमेटिन एवं न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन संकेतन और क्रोमेटिन की विधियाँ, परमाणु विज्ञान और जाति वृत्त। आवृत्तीजीयों के वर्गीकरण की विभिन्न प्रणालियों का तुलनात्मक विवरण, आवृत्तीजीय कुलों का अध्ययन—मैग्नोलिएसी, रेनकुलूलीसी, ब्रैसीकेसी (क्रूसीफेरी), रोजेसी, लेग्युमिनोसी, यूर्फार्बिएसी, मालवेसी, डिटेरोकार्पोसी, एपिएसी (अम्बेलीफेरी), एक्सलेपिडिएसी, वर्बनिसी, सोलेनेसी, रुवि नारेसी, कुकुर्चिटेसी, ऐस्टीरसी (कंपोजिटी), पोएसी (ग्रामिनी) ऐरीकेसी (पामी), लिलिएसी (भूजेसी), आर्केडीसी। रंध और उनके प्रकार, विसंगत द्वितीय वृद्धि, सी-3 और सी-4 पौधों का शरीर। नर और मादा युग्मकोदभिद का परिवर्धन, परागण, निषेचन, भ्रूणपोष—इसका परिवर्धन और कार्य। भ्रूण परिवर्धन का चर्चरूप। बहु-भ्रूणता, असंगतन, परागाणु विज्ञान के अनुप्रयोग।

2. वायवीय फोटोग्राफी तथा सुदूर संवेदन : फोटोग्राफिक छवि की मूलभूत विशेषताएं, व्याख्या शैलियाँ, व्याख्या के लिए उपस्कर, भूमि उपयोग, भूविज्ञान, मृदा तथा वानिकी के लिए छवि व्याख्या, सुदूर संवेदन—परम्परागत तथा सुदूर संवेदी उपगमन के गुण तथा अवगुण, उपग्रह छवियों के प्रकार उपग्रह छवि व्याख्या के मूल सिद्धान्त, मृदा जल तथा भूमि उपयोग के प्रबन्ध के लिए दृश्य तथा अंक

जैव-भूरासायनिक चक्र-वैशिक तापन।

रसायन विज्ञान

प्रश्न-पत्र-1

1. परमाणु संरचना: क्वांटम सिद्धान्त, हाईसेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धान्त, श्रोडिगर तरंग समीकरण (काल अनाश्रित) तरंग फलन की व्याख्या, एकल विमीय बाक्स में कण, क्वांटम संख्याएं, हाइड्रोजन परमाणु तरंग फलन। एसपी और डी कक्षों की आकृति।

2. रासायनिक आवन्ध: आयनी आवन्ध, आयनी यौगिकों के अभिलक्षण, आयनी यौगिकों की स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारण, जालक ऊर्जा, बार्नहैबर चक्र, सह-संयोजक आवन्ध तथा इसके सामान्य अभिलक्षण। अणुओं में आवन्ध की धृवणा तथा उसके द्विधृव आधारूप। संयोजी आवन्ध सिद्धान्त, अनुनाद तथा अनुनाद ऊर्जा की अवधारणा। अणु कक्षक सिद्धान्त (एलटीएओ पद्धति), समन्यूक्तीय अणुओं में आवन्ध: H2+, H2 ls NC2, NO, CO, HF, CN, CH, BeH2 तथा CO2A। संयोजी आवन्ध तथा अणु कक्षक सिद्धान्तों की तुलना, आवन्ध कोटि, आवन्ध सामर्थ्य तथा आवन्ध लम्बाई।

3. ठोस अवस्था (सोलिड स्टेट): ठोसों के प्रकार, अंतराफलक कोणों के स्थिरांक का नियम, क्रिस्टल पद्धति तथा क्रिस्टल वर्ग (क्रिस्टलोग्राफिक समूह) क्रिस्टल फलकों, जालक संरचनाओं तथा यूनिट सेल का स्पष्ट उल्लेख, परिमेय सूक्ष्मों के नियम, ब्रेग का नियम, क्रिस्टल द्वारा एकस-रे विवर्तन, क्लोज पैकिंग (सुसंकुलित रचना) अर्द्धव्यास अनुपात नियम, लिमिहिंग अर्द्धव्यास अनुपात मूल्यों के आकलन। NaCl, ZnS, CsCl, CaF2, CdL2 तथा स्टाइल की संरचना। क्रिस्टलों में अपूर्णता, स्टाइकियोमीट्रीक तथा नानस्टाइकियोमीट्रिक दोष, अशुद्धता दोष, अर्द्धचालक, द्रव रेवों का प्रारम्भिक अध्ययन।

4. गैस अवस्था: वास्तविक गैसों की अवस्था का समीकरण, अन्तरा-अणुक पारस्परिक क्रिया, गैसों का द्रवीकरण तथा क्रांतिक घटना, मैक्सवेल का गति वितरण, अन्तराणुक संघट, दीवार पर संघट तथा अभिस्पन्दन।

5. ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकीय ऊष्मागतिकी: ऊष्मागतिकी पद्धति, अवस्थाएं और प्रक्रम कार्य, ऊष्मा तथा आन्तरिक ऊर्जा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, निकाय पर क्रिया गया कार्य तथा विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों में शोषित ऊष्मा, कैलोरीमिति, विभिन्न प्रक्रमों में ऊर्जा एवं ऐयाली परिवर्तन और उनकी ताप पर निर्भरता। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम: एंट्रोपी एक अवस्था फलन के रूप में विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी-उत्कमणीयता तथा अनुक्रमणीयता, मुक्त ऊर्जा फलन, साम्यावस्था का मापदण्ड, साम्य स्थिरांक तथा ऊष्मागतिकी राशियों के बीच सम्बन्ध, नेन्स्ट ऊष्मा प्रमेय तथा ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। सूक्ष्म तथा रस्खूल अवस्थाएँ: विहित समुदाय तथा विहित विभाजन फलन, इलेक्ट्रानिक, धूर्णी तथा कम्पनिक विभाजन फलन तथा ऊष्मागतिकी राशियाँ, आदर्श गैस अभिक्रियाओं में रासायनिक सायं।

6. प्रावस्था साम्य तथा विलयन: शुद्ध पदार्थों में प्रावस्था साम्य, क्लासिस्यस-क्लेपिरन समीकरण, शुद्ध पदार्थों के लिए प्रावस्था आरेख, द्विआधारी पद्धति में प्रावस्था साम्य, आंशिक मिश्रणीय द्रव-उच्चतर तथा निम्नतर क्रांतिक विलयन ताप, आंशिक मौलर राशियाँ, उनका महत्व तथा निर्धारण, आधिक्य ऊष्मागतिकी फलन और उनका निर्धारण।

7. विद्युत रसायन: प्रवल विद्युत अपघट्यों का डेवाई दुकेल सिद्धान्त, विभिन्न साम्य तथा अधिगमन गुणधर्मों के लिए डेवाई दुकेल सीमान्त नियम। गैलवेनिक सेल, सान्द्रता सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सेलों के ईएमएफ का मापन और उसका अनुप्रयोग, ईंधन सेल तथा बैटरीयों। इलेक्ट्रोल पर प्रक्रम, अन्तरापृष्ठ पर द्विस्वर, चार्ज ट्रांस्फर की दर, विद्युत धारा घनत्व, अतिविभव, वैद्युत विश्लेषण तकनीकी वोल्टामिति, पोलरोग्राफी, एम्परोमिति, चक्रीय-वोल्टामिति, आयन वर्णात्मक इलेक्ट्रोलोग और उनके उपयोग।

8. रासायनिक बलगतिकी: अभिक्रिया दर की सान्द्रता पर निर्भरता, शून्य, प्रथम, द्वितीय तथा आंशिक कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अवकल और समांकल दर समीकरण, उत्क्रम, समान्तर, क्रमागत तथा श्रृंखला अभिक्रियाओं के दर समीकरण, दर स्थिरांक पर ताप और दाब का प्रभाव। स्टॉप-प्लो और रिलेक्सेशन पद्धति द्वारा द्रुत अभिक्रियाओं का अध्ययन। संघटन और संक्रमण अवस्था सिद्धान्त।

9. प्रकाश रसायन: प्रकाश का अवशेषण, विभिन्न मार्गों द्वारा उत्तेजित अवस्था का अवसान, हाइड्रोजन और हेलोजनों के मध्य प्रकाश रसायन अभिक्रिया और क्वान्टमी लक्षि।

10. पृष्ठीय परिघटना तथा उत्प्रेरकता: ठोस अधिशोषकों पर गैसों और विलयनों का अधिशोषण, अधिशोषण समताप रेखा-लैंगमूर तथा वीईटी अधिशोषण रेखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का निर्धारण, विषमांगी उत्प्रेरकों पर अभिक्रिया के अभिलक्षण और क्रियाविधि।

11. जैव-आकार्बिनिक रसायन: जैविक तन्त्रों में धातु आयन तथा मिति के पार आयन गमन (आणिक क्रिया विधि), आइनोफोर्स, फोटोसिंथेसिज-पीएस I, पीएस II, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन, साइटोक्रोम तथा फेरोडोक्सिन में उनकी भूमिका।

12. समन्वय रसायन: (क) इलेक्ट्रानिक विन्यास, संक्रमण धातु संकुल में आवन्ध सिद्धान्तों का परिचय, संयोजकता आवन्ध सिद्धान्त, क्रिस्टल फील्ड सिद्धान्त और उसमें संशोधन, धातु संकुल के चुम्बकीय तथा इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या में सिद्धान्तों का अनुप्रयोग।

(ख) समन्वयी यौगिकों में आइसोमेरिजम (समावयकता), समन्वयी यौगिकों का आईपीयूपीएसी नामकरण, 4 तथा 6 समायोजन वाले संकुलों का भिविम रसायन, किलेट प्रभाव तथा बहुनामिकीय संकुल, परा-प्रभाव और उसके सिद्धान्त, वर्ग समतली संकुल में प्रतिरूपणिक अभिक्रियाओं की बलगतिकी, संकुलों की तापगतिकी तथा बलगतिकी स्थिरता।

(ग) मैटल कार्बोनिलों का संश्लेषण तथा उनकी संरचना, कार्बोनिलेट ऐनियन, कार्बोनिल हाइड्राइड तथा मैटल नाइट्रोसील यौगिक।

(घ) एरोमेटिक प्रणाली के संकुल, मैटल ओलेफिन संकुलों में संश्लेषण, संरचना तथा बंध एलकाइन तथा साइक्लोपेन्टाडायनिक संकुल, समन्वयी असंतुष्टता, आक्सिसेटिव योगात्मक अभिक्रियाएं, निवेशन अभिक्रियाएं, प्रवाही अणु और उनका अभिलक्षण, मैटल-मैटल आवन्ध तथा मैटल परमाणु गुच्छे वाले यौगिक।

13. एफ ब्लाक तर्कों का सामान्य रसायन: लेथेनाइड और एकटीनाइड: पृथक्करण, आक्सीकरण अवस्थाएं, चुम्बकीय तथा स्पेक्टरमी गुणधर्म, लेथेनाइड संकुचन।

14. निर्जल विलायक : द्रव NH3, HF, SO2 तथा H2SO4 में अभिक्रियाएं, विलायक निकाय अवधारणा की असफलता, निर्जल विलायकों का समन्वयन माडल, कुछ उच्च अमलीय माध्यम, क्लोरोसल्फ्युरिक एसिड तथा सुपर एसिड।

रसायन विज्ञान

प्रश्न पत्र-2

1. विस्थानिक सहसंयोजक बन्ध: एरोमेटिकता, प्रति एरोमेटिकता, एन्यूलीन, एजेलीन, ट्रोपोलोन्स, केकुलीन फुल्वीन, सिडनोन।

2. (क) अभिक्रिया क्रियाविधि: उदाहरणों द्वारा कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों के अध्ययन की सामान्य विधियों (गतिक एवं गैर-गतिक दोनों) समाधानिकों का उपयोग, क्रास-ओवर प्रयोग, मध्यवर्ती ट्रैपिंग, त्रिविम रसायन, सामान्य कार्बनिक अभिक्रियाओं के ऊर्जा डायग्राम-(रेखाचित्र) संक्रामी अवस्थाएं एवं मध्यवर्ती, संक्रियण ऊर्जा, अभिक्रियाओं का ऊष्मागतिकी नियंत्रण तथा गतिक नियंत्रण।

(ख) अभिक्रियाशील मध्यवर्ती: कार्बोनियम तथा कार्बोनियम आयनों, कार्बोनियनों, मुक्त मूलकों (फ्री रेडिकल) कार्बोनों, बेन्जाइनों तथा नाइट्रोनों का उत्पादन, ज्यामिति, स्थिरता तथा अभिक्रिया।

(ग) प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ: SN1, SN2, SNI, SN1, SN2, SNI तथा SRN1 क्रिया विधियाँ, प्रतिवेशी समूह भागीदारी, पार्श्वरूप, फ्यूरूप, थियोफन, इंडोल जैसे हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों सहित एरोमेटिक यौगिकों की इलेक्ट्रोफिलिक तथा न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं।

(घ) विलोपन अभिक्रियाएँ: E1, E2 तथा E1cb क्रियाविधियाँ, सेजेफ तथा हॉफमन E2 अभिक्रियाओं में दिक् विन्यास, पाइरोलिटिक SYN विलोपन-एसिटेट पाइरोलिसिस। चूर्णीय तथा कोष विलोपन।

(ङ) संकलन अभिक्रियाएँ: C-C तथा C=C के लिए इलेक्ट्रोफिलिक संकलन, C=O, C-N के लिए न्यूक्लियोफिलिक संकलन, संयुग्मी औलिफिन्स तथा कार्बोनिल्स।

(च) पुनर्विन्यास: पिनाकोल-पिनाकोलोन, हॉफमन, बेकमन, बेयर-विलिगर, फैवोर्स्की, फ्राईस, वलेसेन, कोप, स्टीवेन्ज तथा वानर-मेरबाइन पुनर्विन्यास।

3. परस्मीय अभिक्रियाएँ (Pericyclic reaction): वर्गीकरण और उदाहरण, उडवर्ड-हॉफमन नियम-इलेक्ट्रोसायमिक अभिक्रियाएँ-साइक्लोएडीसन अभिक्रियाएँ (2+2 तथा 4+2) तथा सिंग्माट्रोपिक शिपट (1, 3, 3, 3

तथा 1, 5) FMO उपगमन।

4. रसायन विज्ञान तथा अभिक्रियाओं की क्रियाविधि: एल्डोल संघनन (डायरेक्टेड एल्डोल संघनन सहित), वर्लैसेन संघनन डीकमन, परकिन, नोवेनेजेल, विटिज, क्लीमेसन, वोल्फ-फिशनर, केनिजारों तथा फान-रिकर अभिक्रियाएं, स्टॉब, बेन्जोइन तथा एसिलोइन संघनन, फिशर ईडोल संश्लेषण, स्कराप संश्लेषण, विल्सर-नेपिएरास्की, सेंडमेयर, रेमर-टाइमन तथा रेफॉरमास्की अभिक्रियाएं।

(छ) पर्यावरणीय इंजीनियरिंग तथा सुरक्षा: पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, वायु तथा जल में प्रदूषण के स्रोत, ताप प्रभाव (ग्रीन हाउस इफेक्ट), ओजोन परत का हारास, अम्ल बौछार, सूक्ष्म मौसम विज्ञान तथा पर्यावरण में प्रदूषक तत्वों का प्रसरण (प्रदूषण का फैलाव), प्रदूषण स्तर को मापने की विधियां तथा उन पर नियंत्रण की नीतियां, ठोस अपशिष्ट, उनके जोखिम और उनके निपटान के तरीके, प्रदूषण नियंत्रण उपस्करणों का अभिकल्पन (डिजाइन) तथा निष्पादन विश्लेषण, अग्नि तथा विस्फोट जोखिम निर्धारण, एच ए जैड और पी तथा एच ए जैड ए एन, आपातकालीन योजना, आपात प्रबन्ध, पर्यावरणीय विद्यान, जल, वायु तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम।

(च) प्रक्रिया इंजीनियरिंग अर्थशास्त्र: प्रक्रम उद्योग के लिए नियत (फिक्सड) तथा कार्यशील पूँजी आवश्यकताएं तथा अनुमान पद्धतियाँ। लागत अनुमान और विकल्पों की तुलना, डिस्काउंटेड कैश फलों द्वारा निवल वर्तमान मूल्य, वापस भुगतान विश्लेषण, आई आर आर मूल्य छास, कर तथा बीमा, सीमान्त बिन्दु विश्लेषण, परियोजना अनुसूचन, पी ई आर टी तथा सी पी एम, लाभ तथा हानि लेखा, तुलन पत्र तथा वित्त विवरण, पाइप लगाने सहित संयंत्र रथल तथा संयंत्र अभिन्यास।

सिविल इंजीनियरिंग

प्रश्न पत्र-1

भाग-क

यांत्रिक इंजीनियरिंग, पदार्थ-सामर्थ्य तथा संरचनात्मक विश्लेषण

यांत्रिक इंजीनियरिंग: मात्रक तथा विमाएं, एस आई मात्रक, सदिश, बल की संकल्पना, कण तथा दृढ़ पिण्ड संकल्पना, संगामी, असंगामी तथा समतल पर समान्तर बल, बल आधूर्ण तथा वैरिग्नोन प्रमेय, मुक्त पिण्ड आरेख, संप्रतिबन्ध साम्यवस्था, कल्पित कार्य का सिद्धान्त, समतुल्य बल प्रणाली। प्रथम तथा द्वितीय क्षेत्र आधूर्ण, द्रव्यमान जड़त्वा आधूर्ण, स्पैतिक घर्षण, आनत तल तथा बैयरिंग। शुद्धगतिकी तथा ध्रुवीय निदेशांक, समान तथा असमान त्वरण के अधीन गति, गुरुत्वाधीन गति, गतिक कण: संवेग तथा ऊर्जा सिद्धान्त, डी एल्मर्टस सिद्धान्त, प्रत्यारथ पिण्डों का संघटन, दृढ़ पिण्डों का धूर्णन, सरल आवर्त गति, गति पालक चक्र।

पदार्थ-सामर्थ्य: सरल प्रतिबल तथा विकृति, प्रत्यारथ स्थिरांक, अक्षीत: भारित संपांडन, अपरूपण बल तथा बंकन आधूर्ण, सरल बंकन का सिद्धान्त, अनुप्रस्थ काट का अपरूपण, प्रतिबल वितरण, समसामर्थ्य धरण, पतीदार कमानी, प्रत्यक्ष प्रतिबल में विकृति ऊर्जा, बंकन तथा अपरूपण।

धरन विक्षेप: मैकाले विधि: मोर की आधूर्ण क्षेत्र विधि, अनुरूप धरण विधि, एकांक भार विधि, शापट की ऐंठन, संरचण क्षमता, सघन कुण्डलित कमानी, स्तम्भों का प्रत्यारथ स्थायित्व। ऑंयलर, रेनकाइन तथा सीकेट सूत्र, दो विमाओं में प्रमुख प्रतिबल तथा विकृति, मोर का वृत्त, प्रत्यारथ भंग के सिद्धान्त, खूल तथा तनु सिलिंडर: आंतरिक तथा बाह्य दाब के कारण प्रतिबल-लामे समीकरण।

संरचनात्मक विश्लेषण: कास्टिलियानोस प्रमेय। तथा II। एकांक भार विधि, धरण और कील संधियुक्त कैंची (ट्रस) में प्रयुक्त संगत विकृति की विधि। ढाल विक्षेप, आधूर्ण वितरण, अपरिमित धरण तथा दृढ़ ढांचों में प्रयुक्त कनि की विश्लेषण विधि तथा स्तम्भ सादृश्य विधि।

वेलन भार और प्रभाव रेखाएं: धरण के खण्ड पर अपरूपण बल तथा बंकन आधूर्ण के लिए प्रभाव रेखाएं, गतिशील भार प्रणाली द्वारा धरण चक्रमण में अधिकतम अपरूपण बल तथा बंकन आधूर्ण हेतु मानदण्ड, सरल आलम्बित समतल कील संधियुक्त कैंची (ट्रेस) हेतु प्रभाव रेखाएं।

डाट: त्रिकील, द्विकील तथा आबद्ध डाट, पर्युक्त लघीयन तथा तापमान प्रभाव डाट में प्रभाव रेखाएं। विश्लेषण की मैट्रिक्स विधि: अपरिमित धरण तथा दृढ़ ढांचों का बल विधि तथा विश्लेषण विधि से विश्लेषण, धरण और ढांचों का प्लाटिक विश्लेषण: प्लाटिक बंकन सिद्धान्त, प्लास्टिक विश्लेषण, स्थैतिक प्रणाली, यांत्रिक विधि।

असमिति बकंन: जड़त्वा आधूर्ण, जड़त्वा उत्पाद, उदासीन अक्ष और मुख्य अक्ष की स्थिति बकंन प्रतिबल की परिणाम।

भाग-ख

संरचना अभिकल्प: इस्पात, कंक्रीट तथा चिनाई संरचना

संरचनात्मक इस्पात अभिकल्प: संरचनात्मक इस्पात: सुरक्षा गुणक और भार गुणक, कवचित, कावला तथा वेलिंट जोड़ तथा संयोजन, तनाव तथा सीपीडांग इकाइयों का अभिकल्प, संघटित परिच्छेद का धरण, कवचित तथा वेलिंट प्लेट गडर, गैंड्री गडर, बत्ता और बन्धक, रसेबैर एवं गरेटिड (स्तम्भ आधार) कालम बेस सहित स्ट्रिंगिंग।

राजमार्ग तथा रेलवे पुलों का अभिकल्प: थूं एंड डेक टाइप प्लेट गर्डर, वारेन गर्डर, प्रांट कैंची।

कंक्रीट तथा चिनाई संरचना का अभिकल्प: मिश्र अभिकल्प की संकल्पना, प्रबलिक कंक्रीट: कार्यकारी प्रतिबल तथा सीमा अवस्था विधि से अभिकल्प- आईएस पुस्तिकाओं की सिफारिशें/वन वे एवं टू वे रसेबैर का डिजाइन, सोपान-स्लैब, सरल तथा आयताकार सतत धरन, टी, एवं एल काट के सरल एवं सतत धरण, उत्केन्द्रता सहित अथवा रहित प्रत्यक्ष भार के अन्तर्गत संपांडन इकाइयां, विलगित एवं संयुक्त नीब, केन्टीलिवर एवं पर्युक्त युक्त परिधारक भित्ति।

जल टंकी: पृथ्वी पर रखे आयताकार एवं गोलाकार टंकीयों के अभिकल्पन के लिए शर्तें।

पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट: पूर्वप्रतिबलित के लिए विधियां और प्रणालियां आनति आधारित परिच्छेद पर विश्लेषण और अभिकल्प के द्वारा कार्यकारी प्रतिबल, पूर्व प्रतिबलित हानि।

आई एस (पुस्तिकाओं) कोड के अनुसार ईट की चिनाई का अभिकल्पन।

भाग-ग

तरल यांत्रिकी, मुक्त वाहिका प्रवाह एवं द्रवचालित मशीनें तरल यांत्रिकी: तरल गुणधर्म तथा तरल गति में उनकी भूमिका, तरल स्थैतिकी जिसमें समतल तथा वक्र सतह पर कार्य करने वाले बल भी शामिल हैं। तरल प्रवाह की शुद्धगतिकी एवं गतिक: वेग और त्वरण, सरिता रेखाएं, सांतत्य समीकरण, आधूर्णी तथा धूर्णी प्रवाह, वेग विभव एवं सरिता अभिलक्षक, प्रवाह जाल, आरेखण प्रवाह जाल विधि, स्रोत और नियन्म, प्रवाह पृथक्करण, मुक्त तथा प्रतिबलित भंवर। आयतन नियंत्रण समीकरण, सांतत्य, संवेग, आयतन नियंत्रण समीकरण से ऊर्जा तथा संवेग आधूर्ण नेवियर स्टोक्स समीकरण, ऑंयलर आधूर्ण समीकरण, तरल प्रवाह समस्याओं का अनुप्रयोग, पाइप प्रवाह, समतल, बक्र, अचल एवं चल वेन, स्लूइस गेट, वियर, आस्यमापी तथा वेंटुरी मापी। विमीय विश्लेषण एवं समरूपता: बर्किंगहम पी-प्रमेय विमारहित प्राचल, समस्या सिद्धान्त, निर्दश नियम, अविकृत एवं विकृत प्रतिरूप।

स्तरीय प्रवाह: समान्तर, अचल एवं चल लेटों के बीच स्तरीय प्रवाह, दूर्घात द्वारा प्रवाह।

परिसीमा परत: चपटी प्लेट पर स्तरीय एवं विकृत परिसीमा परत, स्तरीय उप-परत, मसूर एवं रुक्ष परिसीमा एवं विकृत परिसीमा।

पाइपों द्वारा विकृत प्रवाह: विकृत प्रवाह के अभिलक्षण, वेग वितरण एवं पाइप धर्षण गुणक की विविधता, जलदाव प्रवाहण तथा रेखा गुणक, वायु और धूर्णी प्रवाहण और संकुचन, पाइप जालकार्य, पाइपों और उल्लोल कुण्डों में जलाधार।

मुक्त वाहिका प्रवाह: समान एवं असमान प्रवाह, आधूर्ण एवं ऊर्जा संशुद्धि गुणक, विशिष्ट ऊर्जा तथा विशिष्ट बल, क्रान्तिक गहराई, प्रतिरोध समीकरण तथा रुक्षता गुणक की विविधता, तीव्र परिवर्ती प्रवाह, संकुचन में प्रवाह, अपच्छिन्न अवपात प्रवाह, जलोच्चाल और इसके अनुप्रयोग, प्रोत्कर्ष एवं तंग, क्रमशः परिवर्ती प्रवाह, पृष्ठ परिच्छदिका वर्गीकरण, नियंत्रण काट, परिवर्ती प्रवाह समीकरण के समापन विधि, चल प्रोत्कर्ष एवं द्रवचालित बोर।

द्रवचालित यंत्र तथा जल शवित: अपकेन्द्री पाप्प- प्रकार, अभिलक्षण, नेट परिजित विश्लेषण हाइट (जन पी एस एच), विशिष्ट गति, समान्तर परम्परा रेखा गुणक, वायु भांड, द्रवचालित रैग, दक्षता प्राचल, धूर्णी एवं धनात्मक विश्लेषण परम्परा, डायाफ्राम तथा जेट परम्परा।

द्रवचालित टरबाइन, प्रारूप वर्गीकरण, टरबाइन चयन, निष्पादन प्राचल, नियंत्रण, अभिलक्षण, विशिष्ट गति। जल शवित विकास के सिद्धान्त, प्रकार, अभिन्यास तथा घटक कार्य, प्रोत्कर्ष टैक, प्रकार और चयन, प्रवाह अवधि वक्र तथा आश्रित प्रवाह; भण्डारण तथा जल संचयन, पम्पन भण्डारण संयंत्र, लघु, सूक्ष्म-जल वैद्युत संयंत्र के विशेष लक्षण।

भाग-घ

भू-तकनीकी इंजीनियरिंग

मृदा के प्रकार, कला सम्बन्ध, गाढ़ता सीमाएं, कण आकार वितरण, मृदा वर्गीकरण, संरचना तथा मृत्तिका खनिज विज्ञान। कोशिकीय जल तथा संरचनात्मक जल, प्रभावी प्रतिबल तथा रेख जल दाब, डारकी विज्ञान, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक, पारगम्यता का नियंत्रण, स्तरित प्रवाह और धनेशों की पारगम्यता। रिसन दाब, बालू पंक अवस्था, संपीड़यता तथा संहनन, टेरजाधी का एक विमीय सिद्धान्त, संहनन परीक्षण। मृदा संहनन, संहनन

क्षेत्र नियंत्रण, कुल प्रतिबल तथा प्रभावी प्रतिबल पारगम्यता, रेख दाब गुणांक। मृदा का सामर्थ्य अपरूपण, मोर कूलांब भंगता सिद

सीवेज लक्षण: बी ओ डी, सी ओ डी, ठोस पदार्थ, विलीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और टी ओ सी, सामान्य जल मार्ग तथा भूमि पर निष्कासन के मानक। **सीवेज उपचार:** कार्यकारी नियम, इकाइयां, कोष्ठ अवसादन टैंक, च्वाशी फिल्टर, आक्सीकरण पोखर, उत्प्रेरित अवधारणा, सैटिक टैंक, अवधारणा, अवशिष्ट जल का पुनः चालन। **ठोस अपशिष्ट:** गावों और शहरों में संग्रहण एवं निस्तारण, दीर्घकालीन कुप्रभावों का प्रबन्ध। **पर्यावरणीय प्रदूषण:** अवलम्बित विकास, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट एवं निष्कासन, उश्मीय शक्ति संयंत्रों, खानों, नदी घाटी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव मूल्यांकन, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। **वानिकी** **प्रश्न पत्र-1** **खण्ड-क** - वन वर्धन-सामान्य:** सामान्य वन वर्धन सिद्धान्त-वनस्पति को प्रभावित करने वाले परिस्थितिकी तथा शरीर विज्ञानीय कारक, वनों का प्राकृतिक तथा कृत्रिम पुनर्संचरण, प्रसार की पद्धतियां, ग्राफिटक तकनीक, स्थल कारक, नरसी तथा रोपण तकनीक- नरसी क्यारियों, पोली बैग एवं अनुकरण, पौधों के लिए जल निर्धारण, श्रेणीकरण तथा पौधों का दृढ़करण, विशेष आधार, प्रस्थापनाएं तथा देखभाल। - वन वर्धन-प्रणालियां:** सम्पूर्ण कटान (बिलयर फैलिंग), समरूप छाया काष्ठ चयन, गुल्पवन तथा रुपान्तर पद्धति, शीतोष्ण, उष्ण-उष्ण कटिबन्धी, आर्द्ध-उष्ण कटिबन्धी, शुष्क-उष्ण कटिबन्धी तथा तटीय-उष्ण कटिबन्धी वनों के वृक्षारोपण वन वर्धन, प्रजाति चयन, मानकों की स्थापना तथा व्यवस्था, उपजाऊपन की पद्धतियां, तकनीकी अड्डेन, गहन यंत्रीकृत, पद्धतियां, हवाई बीज छिड़काव, बिरलन के विशेष सन्दर्भ में वन वर्धन प्रणालियों का प्रबन्ध। - वन वर्धन-कच्छ वनस्पति तथा शीत मरुस्थल:** कच्छ वनस्पति वास तथा लक्षण, कच्छ वनस्पति पौध स्थापना-निकृष्ट कच्छ वनस्पति स्वरूपों की स्थापनों तथा पुर्नस्थापना, कच्छ वनस्पति के लिए वनवर्धन पद्धति, प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध वास का संरक्षण, शीत मरुस्थल- प्रजातियों के लक्षण, पहचान तथा व्यवस्था। - वृक्षों का वनवर्धन:** उष्णकटिबन्धीय वन वर्धन शोध तथा व्यवहार में परम्परागत तथा नवीनतम विकास, भारत में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ प्रजातियों का वनवर्धन जैसे खेत/कर्त्ता (ऐक्सिया कैटेचु), बबूल (ऐक्सिया निलोटिका), ऐक्सिया आरिकुलीफार्मिस, सिरस (एलिजिया लैबेक), ऐलिजिया प्रोसेरा, कर्दं (ऐच्योसेफेलस कर्दं), एनोगाइस्स लैटीफोलिया, नीम (ऐजाडिरेक्टा इण्डिका), बांस प्रजाति, ढाक/फलाश (व्यूटिया मोनोस्पर्मा), कैसिया सिएमिया, कैजूवाराइना इक्यूसैटीफोलिया, देवदार (पीड्स देओदार) चुकरासिया टैबुलारिस, शीशम (डेलवर्जिया सिसो), डिप्टेरोकार्मस प्रजातियां, एम्बीलिका आक्सिनालिस यूकेलिप्टस प्रजातियां, गंगारी (भेलाइना आर्बोरिया), हार्डविकिया विनाटा, लाजर्स्ट्रीपिया लैनसियोलाटा, पाइनस (चीड़वश) राकसवर्गी, पोप्यूलस प्रजातियां पक्षफली फलघानी (टेरोकार्पस मार्सुथियम), विलायती कीकर (पोरोथिस ज्यूलीफलोरा), चन्दन (सेन्टेलम एलबम) सिमिकार्पस एनाकार्पियम, साल (सोरिया रोबार्स्टा), सेमल (सेल्विलिया मालाबेरिकम), सागोन (टेक्टोना ग्रैन्डिस) टर्मिनेलिया टोमेटोसा, इमली (टेमारिन्डस इण्डिका)। **खण्ड-ख** - कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी संयुक्त वन प्रबन्ध तथा ट्राइबोलोजी:** कृषि वानिकी: कार्यक्षेत्र तथा आवश्यकता, जन और पालतू जानवरों के जीवन तथा समन्वित भूमि उपयोग में भूमिका, विशेष रूप से निम्नलिखित की योजना के सन्दर्भ में: - (i) मृदा तथा जल संरक्षण; - (ii) जल पुनर्वर्ण (रीचार्ज); - (iii) फसलों में पोषण उपलब्धता; - (iv) नाशी जीव-परम्भी के सम्बन्ध के द्वारा परिस्थितिकी संतुलन सहित प्रकृति तथा परिस्थिति तंत्र संरक्षण तथा - (v) जैव-विविधता, औषधीय तथा अन्य वनस्पति और जीव जन्तुओं के वर्धन के लिए अवसर प्रदान करना। विभिन्न कृषि-परिस्थितिकी क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि वानिकी तंत्र, प्रजातियों का चयन तथा बहुउद्देशीय वृक्षों की भूमिका- और एन टी एफ पी एस प्रविधियां, अनन्, चारा तथा ईंधन सुरक्षा, अनुसंधान तथा विस्तार आवश्यकताएं। - सामाजिक/शहरी वानिकी-** उददेश्य, कार्य, क्षेत्र तथा आवश्यकता; जन सहभागिता। जे.एफ.एम- (संयुक्त वानिकी प्रबन्ध) सिद्धान्त, उददेश्य, प्रणाली विज्ञान, कार्यक्षेत्र, लाभ तथा एन जी ओ (गैर सरकारी संस्था) की भूमिका। ट्राइबोलोजी-भारत में जन जातीय अवस्था; जन जातियां, प्रजातियों की अवधारणा, सामाजिक समूहों के सिद्धान्त, जन जातीय अर्थ व्यवस्था, शिक्षा, सांस्कृतिक परम्परा, रुद्धि, प्रकृति तथा वानिकी कार्यक्रमों में सहभागिता। - 2. वन मृदा, मृदा संरक्षण तथा जल-विभाजक प्रबन्ध:** वनों की मृदा, वर्गीकरण, मृदा विरचन को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक, रसायनिक तथा जैविक गुणधर्म। - मृदा संरक्षण:** परिभाषा, अपरदन के कारण; प्रकार-वायु तथा जल अपरदन, अपरदित मृदा/क्षेत्र का संरक्षण तथा प्रबन्ध, वातरोध, रक्षक मेखला, बालू टिब्बा, लवण और क्षारीय मृदाओं का उद्धार, जल प्लावन तथा अन्य व्यर्थ भूमि, मृदा संरक्षण में वनों की भूमिका, मृदा कार्बनिक द्रव्यों का रखरखाव और निर्माण, हरे पत्तों की खाद डालने के लिए कतरन की व्यवस्था; वन पर्यावरकट तथा कंपोसिटंग, मृदा को सुधारने में सूक्ष्म घटकों की भूमिका; एन (नाइट्रोजन) और सी (कार्बन) चक्र, बी ए एम। - जल विभाजन प्रबन्ध:** जल विभाजनों की अवधारणाएं समग्र संसाधन प्रबन्धन व्यवस्था में लघु वनों तथा वन वृक्षों की भूमिका, वन जन विज्ञान, प्रवाह नियंत्रण के सम्बन्ध में जल विभाजकों का विकास, नदी जलमार्ग रिस्त्रीकरण, हिमस्खलन तथा भू-स्खलन नियंत्रण, निकृष्ट क्षेत्र का पुनर्वास, उपग्रहि तथा पर्वतीय क्षेत्र; वनों का जल विभाजक प्रबन्धन तथा पर्यावरण सम्बन्धी प्रकार्य, जल शस्य तथा संरक्षण; भूमि जल पुनर्वर्ण तथा जल विभाजक प्रबन्ध, समन्वित वन वृक्षों की भूमिका, बागवानी फसलें, खेत की फसलें, घास तथा चारा। - 3. पर्यावरणीय संरक्षण तथा जैव विविधता: पर्यावरण:** संधंटक तथा महत्व, संरक्षण के सिद्धान्त, निर्वनीकरण, दावान्न तथा अन्य विभिन्न मानवकृत गतिविधियां जैसे खनन, निर्माण तथा विकास परियोजनाएं, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव। - प्रदूषण:** प्रकार, विश्वव्यापी तापन, ग्रीनहाउस प्रभाव, ओजोन लेयर रिक्तीकरण, अम्लीय वर्षा, प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय, पर्यावरणीय अनुश्रमण, सतत विकास की अवधारणा, पर्यावरण संरक्षण में वनों तथा वृक्षों की भूमिका; वायु, जल तथा रक्ष प्रदूषण पर नियंत्रण तथा रोकथाम, भारत में पर्यावरण नीति तथा विधान: पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जल विभाजकों का विकास तथा साथ ही परिस्थितिक और पर्यावरणीय संरक्षण का अर्थोपाय मूल्यांकन। - वृक्ष सुधार तथा बीज प्रौद्योगिकी:** वृक्ष सुधार की सामान्य अवधारणा, पद्धतियों तथा प्रविधियां, भिन्नताएं और उनके उपयोग, उदगम क्षेत्र, बीज स्रोत, विदेशज; वन वृक्ष सुधार के परिमाणाण्सक पहलू, बीज उत्पादन बीज उद्धार, संतति परीक्षण, प्राकृतिक वन तथा रक्ष उत्पाद सुधार का उपयोग आनुवांशिक परीक्षण कार्यक्रम, रोगों, कीटों तथा प्रतिकूल पर्यावरण के प्रतिरोध हेतु वरण तथा प्रजनन, आनुवांशिक आधार, वन आनुवांशिक संसाधन और जीन संरक्षण 'स्व स्थाने' तथा 'बाह्य स्थाने', लागत-लाभ अनुपात अर्थोपाय मूल्यांकन। **वानिकी** **प्रश्न पत्र-2** **खण्ड-क** - वन प्रबन्ध एवं प्रबन्ध पद्धति:** उददेश्य तथा सिद्धान्त, प्रविधियां, रबड़ संरचना एवं गतिकी, सतत उत्पाद सम्बन्ध, आवर्तन, सामान्य वन, वर्धमान संग्रह, उत्पाद के नियमन, वन रोपण का प्रबन्धन, वाणिज्यिक वन, वन आच्छादन अनुश्रवण, आधार जैसे: (i) स्थल विशेष की योजना (ii) युक्तिपूर्ण योजना (iii) अनुमोदन, संस्कृति तथा व्यवस्था (iv) अनुश्रवण (v) रिपोर्टिंग तथा अभिशासन, शामिल उपायों के विवरण : ग्रामीण वन समिति का गठन, संयुक्त वन सहभागिता प्रबन्ध। - वनों की कार्य योजना:** वन योजना, मूल्यांकन तथा अनुश्रवण साधन एवं समन्वित योजना के आधार, वन संसाधनों का बहु-उददेशीय विकास तथा वन उद्योग विकास, कार्य आयोजन तथा कार्य योजना, प्रकृति संरक्षण में उनकी भूमिका; जैव विविधता तथा अन्य आयाम, तैयारी तथा नियंत्रण, मण्डलीय कार्य आयोजन, कार्य संचालन का वार्षिक आयोजन। - 3. वन विस्तार- कलन (भेन्सुरेशन) तथा दूर-संवेदन:** मापन पद्धतियां-पेड़ों का व्यास, धोरा, ऊँचाई तथा आयतन, रुप विधान, रबड़ (स्टैन्ड) आयतन (वाल्यूम) आकलन, वर्तमान वार्षिक वृद्धि, (माध्य) वार्षिक वृद्धि, प्रतिवर्ष विधि तथा	प्रतिदर्श भूखण्ड (प्लाट), उपज गणना, उपज तथा रबड़ (स्टैन्ड) सारणियों, सुदूर संवेदन द्वारा वन आच्छादन अनुश्रवण; प्रबन्ध तथा प्रतिदर्श के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र। **4. सर्वेक्षण तथा वन इंजीनियरी:** वन सर्वेक्षण- सर्वेक्षण के विभिन्न तरीके, मानविक तथा मानविक अंकन, वन इंजीनियरी की मूलभूत सिद्धान्त, भवन सामग्री तथा निर्माण, सड़कों तथा पुल, लकड़ी के पुलों के सामान्य सिद्धान्त, उददेश्य, प्रकार, प्रतिदर्श अभिकल्पना तथा निर्माण। **खण्ड-ख** **1. वन परिस्थितिकी तथा नुजाति वनस्पति: वन परिस्थितिकी:** जैव तथा अजैव संघटन, वन परिस्थितिक अंकन, वन समुदाय संकल्पना, वनस्पति संकल्पना, परिस्थितिकी वंशक्रम तथा चरमोक्तर्ष, प्राथमिक उत्पादकता, पोषक चक्रण तथा जल सम्बन्ध, प्रतिबल वातावरण में शरीर रचना (सूखा, जल भराव, लवण्यता तथा क्षारीयता), भारत में वनों के प्रकार, प्रजातियों की पहचान, वृक्षजिज्ञास, वर्गीकी विभाजन, वनस्पति संग्रहालय तथा वनस्पति-वाटिका (हवारिया व आरबोरेटा) के स्थापन के सिद्धान्त, वन परिस्थितिक अंकन के संरक्षण, कृत्तक उद्यान (क्लोनल पार्क), नुजाति वनस्पति की भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धतियों में, भूमिका, आयु

द्विअपवर्तन/अपवर्तन, यमलन एवं प्रकीर्णन। शैलकारी सिलिकेट खनिज वर्गों के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण, सिलिकेटों का संरचनात्मक वर्गीकरण, आग्नेय एवं कायांतरी शैलों के सामान्य खनिज, कार्बोनेट, फासफेट, सफलाइट एवं हेलाइट वर्गों के खनिज।

(ii) आग्नेय तथा कायांतरी शैल विज्ञान: मैग्मा का उत्पादन एवं क्रिस्टलन, ऐल्बाइट-एनॉर्थाइट, डाइआस्टाइट - एनॉर्थाइट एवं डाइआस्टाइट-वोलोस्टोनाइट-सिलिका समुदाय का क्रिस्टलन, क्रिया सिद्धान्त / मैग्मीय विभेदन एवं स्वांगीकरण, आग्नेय शैलों का गठन एवं संरचना की शैल आनुवांशिक महत्व, ग्रेनाइट, साइनाट, हाइओराइट, अल्पसिलिक एवं अत्यल्पसिलिक, चार्नोकाइट, ऐनर्थोसाइट एवं क्षारीय शैलों की शैलवर्णना एवं शैलोंत्पाति, कार्बोनेटाइट, दक्खन ज्वालामुखी शैल क्षेत्र।

कायांतरण के प्रकार एवं कारक, कायांतरी कोटि एवं मण्डल प्रावर्था (फेज) नियम, प्रादेशिक एवं संस्पर्श कायांतरण के लिए संलक्षी, एसीएफ एवं एकेएफ आरेख, कायांतरी शैलों का गठन (बुनावट) एवं संरचना, बालुकामय, गुण्य एवं अल्प सिलिक शैलों का कायांतरण खनिज समुच्चय, पश्चगतिक कायांतरण, तत्पात्रण एवं ग्रेनाइटीकरण, मिर्मैटाइट, भारत के ग्रेनुलाइट भूभाग (शैल प्रदेश)।

(iii) अवसाद विज्ञान: अवसादी शैल निर्माण की प्रक्रिया, प्रसंसंधन और शिलीभवन, अवसाद (तलछट) के गुणधर्म, खंडज और अखंडज शैल-उनका वर्गीकरण, शैल वर्णना एवं विकारण पर्यावरण, अवसादी सलंकी और उदगम क्षेत्र, अवसादी संरचना और उनका महत्व, भारी खनिज और उनका महत्व, भारत के अवसादी द्रोणीय।

खण्ड-ख

(iv) आर्थिक भूविज्ञान: अयस्क, अयस्क खनिज एवं गैंग, अयस्क का औसत प्रतिशत, अयस्क निक्षेप का वर्गीकरण, खनिज निक्षेप के निर्माण की प्रक्रिया, अयस्क स्थानीकरण का नियंत्रण, अयस्क का गठन, (बुनावट) एवं संरचना, धातुजननिक युग एवं क्षेत्र, अल्पुमिनियम, क्रोमियम, तांबा, सोना, लोहा, शीशा, जस्ता, मैग्मीज, यूरेनियम और थोरियम एवं औद्योगिक खनिजों के महत्वपूर्ण भारतीय निक्षेप का भूविज्ञान, भारत में कोयला एवं पेट्रोलियम का निक्षेप, राष्ट्रीय खनिज नीति, खनिज संसाधन का संरक्षण एवं उपयोगिता, समुद्री खनिज संसाधन और समुद्री नियम।

(v) खनन भूविज्ञान: पूर्वेक्षण विधि—भूवैज्ञानिक, भूसौतीकीय, भूरासायनिक एवं भूवानस्पतिक, प्रतिचयन तकनीक, अयस्क नियंत्रण का आकलन, अन्वेषण तथा खनन की विधियाँ—धात्विक अयस्क, औद्योगिक खनिज एवं समुद्री खनिज संसाधन, खनिज सज्जीकरण एवं अयस्क प्रसाधन।

(vi) भू-रसायन विज्ञान तथा पर्यावरणीय भूविज्ञान: तत्वों का अंतरक्षीय बाहुल्य, ग्रह तथा उल्कापिण्ड की बनावट, पृथ्वी की संरचना तथा बनावट एवं तत्वों का वितरण, अल्प मात्रिक तत्व/लेश तत्व, क्रिस्टल रसायनिकी के तत्व, रासायनिक बंधनों के प्रकार, निर्देशक संख्या, समाकृतिकता और बहुकृतिकता, प्रारम्भिक उष्मगतिकी, प्राकृतिक संकट—बाढ़, भूरस्खलन, तटीय अपरदन, भूकम्प एवं ज्वालामुखीय क्रियाकलाप तथा न्यूनीकरण शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव, विवृत खनन, औद्योगिक तथा विघटनामिक अपशिष्ट निपटान, उवर्क का प्रयोग, खनिज अपशिष्ट का ढेर और फलाइ ऐश, भौम तथा भूपृष्ठ जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, पर्यावरण सुरक्षा भारत में विधायी उपाय।

गणित

प्रश्न पत्र-1

खण्ड-क

रेखिक वीजगणित: सदिश समष्टि, रेखिक आश्रितता एवं स्वतंत्रता, उपसमिष्ट, आधार, विमा, परिमितविमीय सदिश समष्टि, आव्यूह, (प्रैटिसेस), केले-हैसिल्टन प्रमेय, अभिलक्षणिक मान एवं अभिलक्षणिक सदिश, रेखिक रूपान्तरण का आव्यूह पंक्तीय एवं स्तरमीय लघुकरण सोपानक रूप, तुल्यता, समरूपता, विहित रूप का लघुकरण, कोटि, लम्बकोपीय/लाम्बिक, समिति, विषम समिति, ऐकिक, हर्मिटीय, विषम हर्मिटीय रूप उनके अभिलक्षणिक मान, द्विघाती एवं हर्मिटीय समघातों के लम्बकोपीय/लाम्बिक एवं ऐकिक लघुकरण, धनात्मक निश्चित द्विघाती समघात।

कलन: वास्तविक संख्याएं, सीमांत, सांतत्य, अवकलनीयता, सभी माध्यमान प्रमेय, शेषफलों के साथ टेलर का प्रमेय, अनिर्धारित रूप, उच्चिष्ठ एवं अल्पिष्ठ; अनन्तस्पर्शी, बहुचरों के फलन: सांसस्य, अवकलनीयता, आंशिक अवकलन, उच्चिष्ठ एवं अल्पिष्ठ, लंगाज की गुणक विधि, जैकोवियन, निश्चित समाकलनों की रीमान परिभाषा, अनिश्चित समाकल, अनन्त (इनकिनिट एवं इम्प्रापर) समाकल बीटा तथा गामा फलन, द्विघाती विधि समाकल (केवल मूल्यांकन प्रविधियाँ), क्षेत्र, पृष्ठ एवं आयतन, गुरुत्व—केन्द्र। विशेषिक ज्यामिति: दो तथा तीन विमाओं में कार्तीय तथा धूरीय निर्देशांक, दो तथा तीन विमाओं में द्वितीय कोटि समीकरण, विहित रूपों का लघुकरण, सरल रेखाएं, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच का लघुतान दूरी, समतल, गोलक, शंकु, बेलन, परवलयज, दीर्घवृत्तज, एक तथा दो पृष्ठी अतिपरवलयज एवं उनके गुणधर्म।

खण्ड-ख

साधारण अवकलन समीकरण: अवकल समीकरणों का संरूपण, कोटि एवं घात, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का समीकरण, समाकलन गुणक, प्रथम कोटि के किन्तु प्रथम घात के नहीं, समीकरण, कलेरो का समीकरण, विचित्र हल, नियम (अचर) गुणांक वाले उच्चतर कोटि के रेखिक समीकरण, पूरक फलन एवं विशेष समाकल, व्यापक हल ऑलर—कौशी समीकरण, चर गुणांक वाले द्वितीय कोटि के रेखिक समीकरण, पूर्ण हल का निर्धारण जब एक हल ज्ञात हो, प्राचलों के विचरण की विधि।

गतिकी, स्थैतिकी, द्रव स्थैतिकी: स्वतंत्रता की कोटि एवं व्यवरोध, अजरेखीय गति, सरल आवर्तगति, समतल में गति प्रक्षेप्य, व्यवरोध गति, कार्य एवं ऊर्जा का संरक्षण, आवेदी बल के अन्तर्गत गति, केप्स्टर के नियम, केन्द्रीय बल के अन्तर्गत कक्षाएं, परिवर्ती द्रव्यमान की गति, प्रतिरोध के अन्तर्गत गति, गण—निकाय का सन्तुलन, कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा, धर्षण, साधारण कैटनरी, कलियत कार्य के सिद्धान्त, साम्यावस्था/सन्तुलन का स्थानियत्व, तीन विमाओं में बल साम्यावस्था/सन्तुलन। भारी तरल का दाब, दिए गए बल निकाय के अन्तर्गत तरल की साम्यावस्था/सन्तुलन, बरनौली का समीकरण, दाब केन्द्र, वक्र पृष्ठ का प्रणोद, तैरते हुए पिण्डों की साम्यावस्था/सन्तुलन साम्यावस्था/सन्तुलन का स्थानियत्व, आपलव। केन्द्र, गैसों का दबाव।

सदिश विश्लेषण: अदिश एवं सदिश क्षेत्र, त्रिक गुणनफल, अदिश चर के सदिश फलन का अवकलन, कार्तीय प्रवणता, अपसरण एवं कर्ल, बेलनाकार और गोलीय निर्देशांक तथा उनकी भौतिक व्याख्या, उच्चतर कोटिअवकलज, सदिश तत्समक एवं सदिश समीकरण।

ज्यामिति का अनुप्रयोग: आकाश में वक्र, वक्रता एवं ऊर्जन, सेरेट-फेनेट के सूत्र, गाउस एवं स्टोक के प्रमेय, ग्रीन के तत्समक।

गणित

प्रश्न पत्र-2

खण्ड-क

बीजगणित: समूह, उपसमूह प्रसामान्य उप समूह, समूहों की समाकारिता, विभाग समूह, मूल तुल्यकारिता के प्रमेय, साइलो—समूह, क्रमचय समूह, कैली—प्रमेय, बलय एवं गुणजावली, मुख्य गुणजावली प्रान्त, अद्वितीय गुणनखण्ड प्रांत एवं यूक्लीडियन प्रांत (डोमेन)। क्षेत्र के विस्तार परिमिति।

वास्तविक विश्लेषण: वास्तविक संख्या निकाय, क्रमित समुच्चय, परिवर्त्य, क्रमित क्षेत्र, न्यूनतम ऊपरी परिवर्त्य युक्त क्रमित क्षेत्र को मानते हुए वास्तविक संख्या निकाय, कौशी अनुक्रम, पूर्णता के रूप में वास्तविक संख्या निकाय। फलनों का सांतत्य एवं एक समान सांतत्य, सहत समुच्चयों पर सांतत्य फलनों के गुण धर्म। रीमान समाकल, अनन्त समाकल, वास्तविक तथा समिश्र पदों की श्रेणियाँ (मालाओं) का निरपेक्ष तथा संप्रतिवेच्य अभिसरण, श्रेणियाँ (मालाओं) का पूर्णविन्यास, फलनों को अनुक्रमों तथा श्रेणियों के लिए एक समान अभिसरण, सांतत्य अवकलनीयता एवं समाकलनियता, बहुचरों वाले फलनों का अवकलन, आंशिक अवकलजों के, क्रम में परिवर्तन, अस्पष्ट फलन प्रमेय, उच्चिष्ठ एवं अल्पिष्ठ वहु समाकल।

समिश्र विश्लेषण: विशेषित फलन, कौशी—रीमान फलन, कौशी का प्रमेय, कौशी का समाकलन सूत्र, घात क्षेत्री, टेलर क्षेत्र, लोरां, श्रेणी विचित्रताएं, कौशी अवशेष प्रमेय, कन्ट्रू समाकलन, अनुक्रोण प्रतिविचित्रण, द्विरेखिक रूपान्तरण।

रेखिक प्रोग्राम: रेखिक प्रोग्राम समस्याएं आधारी हल, आधारी सुरांगत हल एवं इक्ष्टम हल, आलेखी विधि तथा हल की एकधा विधि, द्वैतता, परिवहन तथा नियतन समस्याएं भ्रमणशील विक्रेता की समस्याएं।

खण्ड-ख

आंशिक अवकल समीकरण: तीन विमाओं में वक्र तथा पृष्ठ; आंशिक अवकल समीकरण का संरूपण, $dx/p=dy/dz=r$ प्रकार के समीकरणों का हल, लम्बकोपीय संचेती, फैफियन अवकल समीकरण, प्रथम कोटि का आंशिक अवकल समीकरण, कौशी अभिलक्षण विधि द्वारा हल, हलों की चारपैट विधि, नियत गुणांकों से युक्त द्वितीय

कोटि के रेखिक आंशिक अवकल समीकरण, कंपित तंतु के समीकरण, ताप समीकरण, लाप्लास समीकरण।

संख्यात्मक विश्लेषण एवं कम्प्यूटर क्रमादेशन: संख्यात्मक विधियाँ: द्विविभाजन द्वारा एक चर के बीजगणितीय तथा अवीजीय समीकरणों का हल, मिथ्याविधि (प्रियुला फारसी) तथा न्यूटनराफ्सन विधियाँ, गाऊसीय

आव्यूह (मैट्रिक्स) पद्धति, पतले लेंस के सूत्र, निस्पन्द तल, दो पतले लैंसों की प्रणाली, वर्ण तथा गोलीय विषय।

३. भौतिकी प्रकाश विज्ञान: (क) व्यतिकरण: प्रकाश का व्यतिकरण—यंग का प्रयोग, न्यूटन वलय, तनु फिल्मों द्वारा व्यतिकरण, माइकल्सन व्यतिकरण मापी, विविध किरणपूज व्यतिकरण तथा फैब्री-पेरट व्यतिकरण मापी, होलोग्राफी तथा उसके सरल अनुप्रयोग।

(ख) विवर्तन: फ्रानहोफर विवर्तन—एकल रेखा छिद्र (स्लिट), द्विरेखा छिद्र, विवर्तन ग्रेटिंग विभेदन क्षमता—प्रेजनेल विवर्तन—अर्द्ध आवर्तन जोन तथा जोन प्लेट, फ्रेजनल समाकल, कोर्न कैसर्पिल (स्पिरल) का एक सीधे कोर पर विवर्तन तथा लम्बी संकीर्ण रेखा छिद्र के विश्लेषण में अनुप्रयोग—वृत्तीय द्वारक द्वारा विवर्तन तथा वायवीय पैटर्न।

(ग) ध्रुवीकरण तथा आधुनिक प्रकाश विज्ञान: रेखीय, वृत्तीय तथा दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन तथा अभिज्ञान द्विअपवर्तन, चतुर्थशंश तरंग स्लेट, ध्रुवण धूर्णकता—रेशा प्रकाशिकी के सिद्धान्त क्षीणन, स्टेप-इंडेक्स तथा परबलयिक इंडेक्स तत्त्वों में स्पन्द परिक्षेपण, पदार्थ परिक्षेपण, एकल रूप रेशा (फाइबर), लेसर—आइन स्टाइन का और खण्डों, रुबी तथा हीलियम—नियान लेसर, लेसर प्रकाश की विशेषताएं, स्थानिक तथा कालिक सम्बद्धता, लेसर किरणपूज को फोकस करना, लेसर क्रिया के लिए तीन स्तरीय योजना।

खण्ड-च्छ

४. विद्युत एवं चुम्बकत्व: (क) स्थिर वैद्युत एवं स्थिर चुम्बकीय: स्थिर वैद्युत में लाप्लेस एवं प्वासों समीकरण एवं उनका अनुप्रयोग, आवेश नियम की ऊर्जा, आदिश विभव का बहुधृव प्रसार, प्रतिविम्ब विधि एवं उनका अनुप्रयोग, द्विधृव के कारण विभव एवं क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र में द्विधृव पर बल एवं बलाधूर्ण, परावैद्युत, ध्रुवण, परिसीमा—मान समस्या का हल—एक समान वैद्युत क्षेत्र में चालक तथा परावैद्युत गोलक, चुम्बकीय कोश, एक समान चुम्बकित गोलक, लौह चुम्बकीय पदार्थ, शैथिलय, ऊर्जा हास।

(ख) धारा विद्युत: किरचौफ नियम एवं उनका अनुप्रयोग, बायो—सवार्ट नियम, ऐम्पियर का नियम, फैराडे का नियम, लेन्ज का नियम, स्व—एवं अन्योन प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा (प्र.धा.) परिपथ में माध्य एवं वर्ग माध्य मूल (आर.एम.एस.) मान, एलआर, सीआर, एवं एलसीआर परिपथ—श्रीवैद्युत एवं समान्तर अनुनाद, गुणता कारक, परिणामित्र (ट्रान्सफॉर्मर) के सिद्धान्त।

५. विद्युत चुम्बकीय सिद्धान्त एवं कृषिका विकिरण: (क) विद्युत चुम्बकीय सिद्धान्त: विस्थापना धारा एवं मेक्सवेल का समीकरण, निर्वात में तरंग समीकरण, प्वाइन्टिंग प्रमेय, सदिश एवं अदिश विभव, प्रमापी निश्चरता, लोरेन्ट्स एवं कूलॉम प्रमापी, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र प्रदिश, मेक्सवेल समीकरण का सहप्रसरण, समदैशिक परावैद्युत में तरंग समीकरण, दो परावैद्युतों के परिसीमा पर परावर्तन तथा अपवर्तन, फ्रेनल सम्बन्ध, प्रसामान्य एवं असंगत वर्ग विक्षेपण, रैले प्रकीर्णन। (ख) कृषिका विकिरण: कृषिका विकिरण एवं प्लांक विकिरण नियम—स्टेफॉन—वोल्जमान नियम, वीन विस्थापन नियम तथा रैले—जीन्स नियम, प्लांक द्रव्यमान, प्लांक समय, प्लांक तापमान एवं प्लांक ऊर्जा।

६. तापीय एवं सांख्यिकीय भौतिकी: (क) ऊष्मागतिकी: ऊष्मागतिकी का नियम, उत्क्रम्य तथा अप्रतिक्रम्य प्रक्रम, एन्ट्रॉपी, समतापी, रुद्धोष, समदाब, समआयतन प्रक्रम तथा एन्ट्रॉपी परिवर्तन, ऑटो एवं डीजल इंजन, गिस प्रावस्था नियम एवं रासायनिक विभव, वास्तविक गैस की अवस्था के लिए वैन्डरवाल समीकरण, क्रातिक रिथरांक आणिक वेग के लिए मैक्सवेल वॉल्जमान वितरण, परिवहन परिघटना, समविभाजन, वीरियल प्रमेय, ठोस की विशेषता ऊष्मा का ड्यूलॉन—पैटी, आईस्टाइन, डेवाइ सिद्धान्त, मेक्सवेल सम्बन्ध, एवं अनुप्रयोग, क्लेपिरॉन लॉसिंस असमीकरण, रुद्धोष विचुम्बकन, जूल—कैलिवन प्रभाव एवं गैसों का द्रवण।

(ख) सांख्यिकीय भौतिकी: साहा आयनन सूत्र, बोस—आईस्टाइन द्रवण / संघनन, आदर्श फर्मी गैस का ऊष्मागतिक व्यवहार। चन्द्रशेखर रसीमा, न्यूट्रान तारा एवं पैल्सार के विषय में प्रारम्भिक धारणा, यादृच्छिक घ्रमण के रूप में ब्राउनी गति, विसरण प्रक्रम, नाकारात्मक ताप की अवधारणा।

भौतिकी

प्रश्न पत्र-२

खण्ड-क

१. क्वान्टम यांत्रिकी—(i): कण तरंग द्वैतता, श्रोडिंगर समीकरण एवं प्रत्याशा मान, अनिश्चितता सिद्धान्त, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण का हल—मुक्त कण (गाउसीय तरंग—वेस्टन (पैकेट)) बाक्स में कण, परिमित क्षृप में कण, रेखिक आवर्ती लोलक, विभव स्टेप एवं आयाताकार रोधिका द्वारा परावर्तन एवं संचरण, अल्फाहास समस्या में जीवन अवधि परिकलन हेतु डब्ल्यू के बी सूत्र का उपयोग।

२. क्वान्टम यांत्रिकी—(ii) एवं परमाणु भौतिकी: (क) क्वान्टम यांत्रिकी—

(ii). त्रिविमीय बाक्स में कण, अवस्थाओं का घनत्व, धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रोन सिद्धान्त, कोणीय संवेग समस्या, हाईड्रोजन परमाणु, अर्द्ध चक्रण समस्या एवं पाउली चक्रण आव्यूह के गुणधर्म।

(ख) परमाणु भौतिकी: स्टर्ट—गर्लेक प्रयोग, इलेक्ट्रोन चक्रण, हाईड्रोजन परमाणु की सूक्ष्म संरचना, एल.एस. (एल.एस.) युग्मन, जे—जे (जे—जे) युग्मन, परमाणु अवस्था का स्पेक्ट्रोमीटर संकेतन, जेमान प्रभाव फ्रांक—कॉन्डन सिद्धान्त एवं अनुप्रयोग।

३. आणिक भौतिकी: द्विपरमाणु अणु के धूर्णीनी, काम्पनिक एवं इलेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रम का प्राथमिक सिद्धान्त, रमन प्रभाव एवं आणिक रसंचना, लेजर रमन स्पेक्ट्रम विज्ञान, खगोल—विज्ञान एवं उदासीन हाईड्रोजन परमाणु, आणिक हाईड्रोजन एवं आणिक हाईड्रोजन आयन का महत्व, प्रतिदीप्ति एवं स्फुर्दीप्ति, एन.एम.आर. (एन.एम.आर.) का प्राथमिक सिद्धान्त एवं अनुप्रयोग, लैम्ब सृति की प्राथमिक व्याख्या एवं इनका महत्व।

खण्ड-ख

४. नाभिकीय भौतिकी: मूलभूत नाभिकीय गुणधर्म आकार, बच्चन ऊर्जा, कोणीय संवेग, समता, चुम्बकीय आव्यूह, सामी—आनुभाविक संहाति सूत्र एवं अनुप्रयोग, द्रव्यमान परवलय, ड्यूटरान की मूल अवस्था, चुम्बकीय आव्यूह एवं अकेन्द्रीय बल, नाभिकीय बल का मेसान सिद्धान्त, नाभिकीय बल की प्रमुख विशेषताएं, नाभिक का कोश मॉडल—सफलता एवं सीमाएं, बीटा डास में समता का उल्लंघन, गामा डास एवं आंतरिक रूपान्तरण, मासबौर स्पेक्ट्रम विज्ञान के बारे में प्राथमिक धारणा, नाभिकीय अभिक्रिया का (क्यू)—मान, नाभिकीय विखण्डन एवं संचयन, ताराओं में ऊर्जा उत्पादन, नाभिकीय रैपेक्टर।

५. कण भौतिकी एवं ठोस अवस्था भौतिकी: (क) कण भौतिकी: मूल कणों का वर्गीकरण एवं उनकी अन्योन्यक्रिया, संरक्षण नियम, हाईड्रोजन की स्थाना घनत्व, क्षीण वैद्युत एवं प्रबल अन्योन्य क्रिया का क्षेत्र व्याप्ता, बलों के एकीकरण की प्राथमिक व्याख्या, न्यूट्रिनों की भौतिकी।

(ख) ठोस अवस्था भौतिकी: घनीय क्रिस्टल संरचना, ठोसों का पटट सिद्धान्त—चालक, विद्युतरोधी एवं अर्द्धचालक, अतिचालकता के अवयव, माइस्नर प्रभाव जोजेफसन संधि एवं अनुप्रयोग, उच्च तापक्रम अतिचालकता की प्राथमिक व्याख्या।

६. इलेक्ट्रोनिकी: नेज एवं बाह्य अर्द्धचालक—p-n-p (पी—एन—पी) एवं n-p-n (एन—पी—एन) ट्रांजिस्टर, प्रवर्धक एवं दोलित्र, संक्रियात्मक प्रबलक FET (एफ.ई.टी.), JFET (जे.एफ.ई.टी.) एवं MOSFET (एमओएस.एफ.ई.टी.)। अंकीय इलेक्ट्रोनिकी—तूलीय तत्त्वम, डी मार्गन नियम, तर्कदार एवं सत्यमान सारणी सरल तर्क परिपथ, ऊर्ज प्रतिरोधी (थर्मिस्टर), सौर, सैल माइक्रोप्रोसेसर एवं अंकीय संगणक।

सांख्यिकी

प्रश्न पत्र-१

प्रायिकता: प्रतिदर्श समष्टि एवं घटनाएं—प्रायिकता मेय और प्रायिकता समष्टि, मेय फलन के रूप से यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर का बंटन फलन, असंतत तथा संतत प्रकार के यादृच्छिक चर, प्रायिकता द्रव्यमान फलन, प्रायिकता घनत्व फलन, सदिश—मान यादृच्छिक चर, उपान्त और सप्रतिबन्ध बंटन, घटनाओं और यादृच्छिक चरों की प्रसंभाव्य स्वतंत्रता, यादृच्छिक चर की प्रत्याशा तथा आव्यूह, सप्रतिबन्ध प्रत्याशा, यादृच्छिक चरों की श्रृंखला का बंटन में प्रायिकता में, प्रय, माध्यम में, तथा लगभग सर्वत्र स्थिति में अभिसरण उनका मानदण्ड तथा पारस्परिक सम्बन्धः मोरेल—केटेली प्रमेयिका, चेबीशेब तथा खिंचिन के बृहत संख्याओं के दुर्बल नियम, बृहत संख्याओं के सबल नियम तथा कोल्मोगोरोव के प्रमेय, ग्लीबैन्की—कैटेली प्रमेय, प्राथमिकता जनक फलन, अभिलाक्षणिक फलन, प्रतिलोमन प्रमेय, लाप्लेस का रूपान्तरण सम्बन्धित अद्वितीय सीमा प्रमेय, उच्चक असंतत तथा असंतत प्रायिकता बंटन, उनका पारस्परिक सम्बन्ध तथा सीमान्त बंटन, परिमित मार्कोव श्रृंखला के सामान्य गुणधर्म।

सांख्यिकीय अनुभिति: संगति, अनिभिन्नता, दक्षता, पर्याप्तता, न्यूनतम पर्याप्तता, पूर्णता सहायक प्रतिदर्शन, गुणन खण्डन प्रमेय, बन्टन का चरघातांकी समूह व इसके गुणधर्म, स्वरूप न्यूनतम प्रसरण अनिभिन्नता (यू.एम.पी.यू.) आंकलन,

राव—ब्लैकबैल और लेहमैन—शेफे प्रमेय, बंटन के एकल व बहु—प्राचल समूहों के लिए क्रामर—राब असमिका न्यूनतम प्रसरण, परिबद्ध, आकलन तथा उसके गुण धर्म, क्रामर—राब असमिका के आपरिवर्तन व विस्तार, चैवैमैन रैविन्स असमिका, भट्टट

ओबीलिया और औरीलिया के सामान्य लक्षण एवं जीवन-वृत्त। (ड) प्लेटिहेलिंथीस: परजीवी अनुकूलन; फेसिओला तथा ठीनिया के सामान्य लक्षण एवं जीवनवृत्त तथा मानव के साथ उनका सम्बन्ध। (च) नेमेटहेलिंथीस: ऐसकेरिस के सामान्य लक्षण, जीवनवृत्त तथा परजीवी अनुकूलन, नेमेटहेलिंथों का मानव से सम्बन्ध। (छ) ऐनेलिड: सीलोम और खिण्डता: पालीकीटों में जीवनविधियाँ नेरीस (नीएंथीस), केंचुआ (फेरिटिमा) तथा जोंक (हिरुडिनेरिया) के सामान्य लक्षण तथा जीवनवृत्त। (ज) आर्थोपोड: क्रस्टेशिया में डिम्ब प्रकार और परजीविता, आर्थोपोडो (झींगा, तिलचट्टा तथा बिच्छु) में दृष्टि और श्वसन; कीटों (तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी तथा तितली) में मुख्यांगों का रूपान्तरण; कीटों में कायांतरण तथा इसका हार्मोनी नियमन; कीटों (दीमकों तथा मधु—मुविख्यों) में सामाजिक संगठन। (झ) मोलस्का: अशन, श्वसन, गमन, कवच विधिता; लैमेलिडेन्स पाइला तथा सीपिया के सामान्य लक्षण एवं जीवन-वृत्त; गैस्ट्रोपोडों में ऐंठन तथा अव्यावर्तन। (ञ) इकाइनोडर्मटा: अशन, श्वसन, गमन, डिम्ब प्रकार, ऐस्टीरिअस के सामान्य लक्षण तथा जीवन-वृत्त (ट) प्रोटोकॉर्डटा: रज्जुकियों का उद्भव, ब्रैंकियोस्टोमा तथा हर्ड्मानिया के सामान्य लक्षण तथा जीवनवृत्त (ठ) पाइसीज़: शल्क, श्वसन, गमन, प्रवासन (ड) ऐम्फिविद्या: चतुर्पादों का उद्भव, जनकीय देखभाल, शावकांतरण (ढ) रेटीलिया वर्ग: सरीसूपों की उत्पत्ति: करोटि के प्रकार स्फेनोडॉन तथा मगरमच्छों का स्थान (ण) एपीज़: पक्षियों का उद्भव: उड़ान अनुकूलन तथा प्रवासन (त) भैमेलिया: स्तनधारियों का उद्भव; दंत विन्यास, अंड देने वाले स्तनधारियों कोष्ठधारी स्तनधारियों जलीय स्तनधारियों तथा प्राइमेटों के सामान्य लक्षण; अंतःस्नायी गंधिता तथा अच्य हार्मोन उत्पन्न करने वाली संरचना (पीयूष गंधि अवटु गंधि, पराबटु गंधि अधिवृकृ गंधि अग्नाशय, जनन गंधि) तथा उनमें अंतःसम्बन्ध (थ) कशेरुकी प्राणियों के विभिन्न तंत्रों का तुलनात्मक कार्यात्मक शरीर अध्यावरण तथा इसके व्युत्पाद, अंतः कंकाल, चलन—अंग, पाचन—तंत्र श्वासन तंत्र, हृदय तथा महाधमनी—चापों सहित परिसंचारी तंत्र, मूत्र—जनन तंत्र मस्तिष्क तथा ज्ञानेन्द्रियां (आंख तथा कान) **भाग—ख** I- पारिस्थितिकी: (क) जीवमंडल, जैवभूरसायन चक्र, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत तथा इसका प्रभाव; पारिस्थितिक अनुक्रम, जीवोंम तथा ईकोटोन (ख) समस्ति, विशेषताएं समस्ति गतिकी, समिष्टि स्थिरीकरण (ग) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण—खनिज खनन, मत्स्य—उद्योग जलकृषि, वानिकी, घास स्थल: वन्य जीवन (बाघ) परियोजना, कृषि में बानाए रखा जाने वाला उत्पादन एकीकृत नाशीजीव प्रवर्धन (घ) पर्यावरणीय जैव निम्नीकरण, प्रदूषण तथा जीवमंडल पर इसके प्रभाव एवं उसकी रोकथाम II- व्यवहारिकी: (क) व्यवहार: संवेदी नियंत्रण, प्रतिसंदेशिता, चिन्ह उद्दीपन, सीखना, कृति अभ्यास, प्रानुकूलन, अध्यांकन (ख) चालन में हारमोनों की भूमिका, संचांते न प्रसार में फीरामेनों की भूमिका; गोपकता, परपक्षी पहचान, परपक्षी तौर—तरीके कीटों तथा पई मेटों में सामाजिक व्यवहार, प्रणय—(झासोफिला, त्रिकटंक, रिट्कलबके तथा पक्षी) (ग) अभिविन्यास, संचालन अभिगृह जैविक लय: जैविक नियतकालिकता, वरीय, ऋतपुरक तथा दिवसप्राय लय (घ) प्राणी—व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ III- अर्थिक प्राणि विज्ञान: (क) मधुमक्खी पालन, रेशमकीट पालन, लाख कीट पालन शफरी संवर्ध, सीप पालन, झींगा पालन (ख) प्रमुख संक्रामक एवं संचरणीय रोग (चेचक, प्लेग, मलेरिया, क्षय रोग, हैंजा तथा एड्स), उनके वाहक रोगाणु तथा रोकथाम (ग) पशुओं तथा मर्वेशियों के रोग, उनके रोगाणु (हेल मिन्थस) तथा वाहक (चिंचड़ी, कुटकी, बेबेनस, स्टामोकिसस) (घ) गन्ने का नाशीजीव (पाइरिला परपुसिला), तिलहन का (ऐकिया जनाटा) तथा चावल का (सिटोफिलस ओरिजे) IV- जैव सांख्यिकी: प्रयोगों की अभिकल्पना; निराकरणीय परिकल्पना; सह—संबंध, परावर्तन, केन्द्रीय प्रवृत्ति के परिमाण और वितरण, काई—स्कवेयर, विद्यार्थी टी—टेस्ट, एफ—टेस्ट (एक मार्मा तथा द्विमार्मा एफ—टेस्ट) V- उपकरणीय पद्धति: (क) स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापन, ज्वाला प्रकाशमिति, गाइगर मुलर गणित, प्रस्फुरण गणना (ख) इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी (टीईएम, एसईएम) **प्राणि विज्ञान** **प्रश्न पत्र—२** **भाग—क** I- कोशिका जीव—विज्ञान: (क) कोशिका तथा इसके कोशिकांगों (केन्द्रक, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्फ्रिया, गाल्जीकाय, अंतर्द्रव्यी जलिका, राइबोसोम तथा लाइसोसोम्स) की संरचना एवं कार्य, कोशिका—विभाजन (समसूत्री और अर्धसूत्री) समसूत्री तंत्र, गुणसूत्र गति। (ख) डीएनए का वाटसन एवं ब्रीक मॉडल, डीएनए की प्रकृमि, प्रोटीन संश्लेषण, अनुलेखन तथा अनुलेखन कारक II- अनुवांशिकी: (क) जीवन संरचना तथा कार्य, अनुवांशिकी कूट (ख) झासोफिला, नेमैटोडों तथा मानव में लिंग गुणसूत्र तथा लिंग निर्धारण (ग) वंशागति में मेंडलीय नियम, पुनर्जोन, सहलगनता, चित्र, बहु—युग्म विकल्पी, स्ट्रॉन अवधारणा, रक्त समूहों की अनुवांशिकी (घ) उत्परिवर्तन तथा उत्परिवर्तजनन: विकिरणी तथा रासायनिक (ङ) कलोनिंग तकनीक, वाहकों के रूप में प्लोज़िमिड्स तथा कॉस्मिड्स, ट्रांसपोसान्स, डीएनए क्रम कलोनिंग तथा पूर्ण प्राणी कलोनिंग (सिद्धांत तथा क्रिया पद्धति) (च) प्रो—तथा ग्रू—कैरियोट्रेस में नियमन तथा जीव अभिव्यक्ति (छ) संकेत पारक्रमण, वंशावली—विश्लेषण, मानव के जन्मजात रोग (ज) मानवत जीनोम चित्रांकन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग III- विकास: (क) जीवन का उद्भवन (ख) प्राकृतिक वरण, विकास में उत्परिवर्तन की भूमिका, अनुहरण, विभिन्नता, पृथक्करण जाति उद्भवन (ग) जीवाशम तथा जीवाशमीकरण, घोड़े, हाथी तथा मानव का विकास (घ) हार्डी—बीनर्ग नियम, जीव आवृत्ति में परिवर्तन के विधि कारण (क्र) महाद्विपीय विस्थापन तथा प्राणियों का वितरण IV- वर्धकरण: (क) प्राणिवैज्ञानिक नामावली, अन्तरराश्ट्रीय नियम, कलैडिस्टिक्स **भाग—ख** (क) कार्बोहाइड्रेटों, वसाओं, लिपिओं, प्रोटीनों, अमीनो अम्लों, न्यूक्लिक अम्लों की संरचना एवं भूमिका, संतृप्त तथा असंतृप्त वसा, अम्ल, कोलेस्ट्रोल (ख) ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रोस चक्र, आक्सीकरण तथा अपचयन, आक्सीकरण फारफोरीलेशन; ऊर्जा संरक्षण तथा विमोचल ए.टी.पी; च्वायी एम्पी—इसकी संरचना तथा भूमिका (ग) हार्मोन वर्गीकरण (स्टेरोइड हार्मोन), जैव—संश्लेषण तथा कार्य (घ) इन्जाइम: क्रिया के प्रकार तथा क्रियाविधियाँ, इम्यूनोग्लोबिलिन तथा रोधकक्षमता, विटामिन तथा को—एन्जाइम (क्र) जीवोर्जिकी: II- कार्यिकी (स्तनधारियों के विशेष संदर्भ में): (क) रक्त की संघटना तथा रचक; मानव में रक्त समूह तथा 'आरएच' कारक, रक्तदान क्रिया, स्कंदन के कारक तथा क्रिया—विधि; अम्ल शारक साम्य, ताप—नियमन (ख) आक्सीजन तथा कार्बनडाईआक्साइड अभिगत, हीमोग्लोबिन; इसके रचक तथा नियमन में इसकी भूमिका (ग) पोषणिक आवश्यकताएँ: पाचन में लार ग्रथियाँ, जिगर, अग्नाशय तथा आत्रंगथियों की भूमिका तथा अवशोषण (घ) उत्सर्जी उत्पाद, नेकोन तथा मूत्र विरचन का नियमन; परासरण नियमन (क्र) पेशियों के प्रकार, कंकाल पेशियों की संकुचन की क्रियाविधि (च) न्यूरोन, तंत्रिका आवेग—उसका पालन तथा अंतर्ग्रथनी संचरण: न्यूरोट्रांसमीटर (छ) मानव में दृष्टि, श्रवण तथा धारणावाद (ज) हार्मोन क्रिया की क्रिया—विधि (झ) जनन की कायिकी, हार्मोनों तथा फेरोमानों की भूमिका III- परिवर्धन जीवन विज्ञान: (क) युग्म से न्यूरूला अवस्था तक का विभेदीकरण, निर्विभदे न, मेटाप्लेसिया; विप्रेण, संरचना विकास तथा मारफाजे ने, में देक तथा चूजें में कन्दुकों के नियति वित्र आंख तथा हृदय का आंग जनन स्तनधारियों में अपरान्या। (ख) परिवर्धन में कोशिका—द्रव्य की भूमिका तथा परिवर्धन का आनुवांशिक नियंत्रण कोशिका वंशपरम्परा, में देक तथा कीटों में कायांतरण का उदावान, शावकीजनन तथा विरभूतता, वृद्धि, विवृद्धि तथा कोशिका मृत्यु, जरण, ब्लास्टोजेनेसिस, पुनर्जनन, विरुपजनन; आर्दुदत्ता (ग) अपरा की आक्रमकता; पात्रे निषेचन, भ्रूण स्थानान्तरण, क्लोनिंग (घ) वेयर का नियम, एवो—डेवो अवधारण **पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान** **प्रथम प्रश्न पत्र** **सेवन — अ** पशुधन व्यवसाय— इसके अवसर एवं सम्भावनायें। जंगली जानवरों के सन्दर्भ में मानव जनसंख्या

दुर्घ एवं दुर्घ पदार्थ— दुर्घ— कच्चे दूध का एकत्रीकरण, यातायात व्यवस्था एवं गुणवत्ता परीक्षण, दूध का पाश्चुरीकरण, मानकीकरण एवं सामग्रीकरण, पुनर्निर्मित एवं पुनर्संयोजित दूध।

दुर्घ प्रौद्योगिकी— दुर्घ उत्पादक जैसे मखबन, धी, खोआ, छेना, चीज, सघनित, शुष्क दूध, आइसक्रीम, योजहटी, दही एवं श्रीखण्ड का उत्पादन, प्रसंकरण, भण्डारण, वितरण एवं विपणन तथा उनका परीक्षण एवं श्रेणीकरण, विभिन्न दुर्घ पदार्थ का बी0आई0एस0 विशिष्टकरण, विधिक मानक, गुण नियंत्रण एवं पोषणिक गुण—

दुर्घ उपजात प्रौद्योगिकी— छाछ उत्पाद, छाछ, दुर्घ शर्करा एवं केसीन।

उद्यान विज्ञान — “फल एवं रोपण फसलें”

प्रश्नपत्र—प्रथम

खण्ड—अ

उद्यान विज्ञान की परिभाषा एवं इसकी शाखायें। भारत में फल एवं रोपण फसलों के महत्व एवं कार्यक्षेत्र। विभिन्न फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन। फलों का भौगोलिक वर्गीकरण। पोषण वाटिका। बागवानी की योजना एवं स्थापना। सघन—रोपण। प्रवर्धन विधियाँ और मूलवृत्त के प्रयोग। सूक्ष्म प्रवर्धन। पौधशाला प्रबन्धन। सधाई एवं कठाई विधियाँ। फलोत्पादन में वृद्धि नियामकों का प्रयोग।

खण्ड—ब

मुख्य फलों की खेती हेतु समग्र कृषि क्रियायें— आम, केला, नीबू प्रजाति, अंगूर, अमरुद, लीची, पपीता एवं माइनर फल— अनन्नास, अनार, बेल, आँवला, करौंदा, फालसा और कटहल तथा रोपण, फसलें— कॉफी, चाय एवं नारियल। फल संरक्षण के सिद्धान्त। जैम, जेली एवं मार्मलेड के बनाने की विधियाँ।

उद्यान विज्ञान — “सब्जियाँ तथा अलंकृत फसलें”

प्रश्नपत्र—द्वितीय

खण्ड—अ

सब्जियाँ तथा अलंकृत फसलों का महत्व एवं कार्यक्षेत्र। सब्जी वाटिका। सब्जियों का वर्गीकरण, क्षेत्र, उत्पादन एवं समग्र कृषि क्रियायें— टमाटर, बैगन, मिर्च, मिन्डी, तरबूज, खरबूजा, लौकी, करैला, पातगोभी, फूलगोभी, प्याज, लहसुन, राजमा, मटर, आलू, सूरन, गाजर, मूली, चौलाई एवं पालक। सब्जी उत्पादन में वृद्धि नियामकों का प्रयोग। सब्जियों की जैविक खेती। सब्जियों की संरक्षित खेती। बैमोसम सब्जी उत्पादन। फर्टीगेसन, सब्जी संरक्षण के सिद्धान्त, सब्जियों को सुखाना, निर्जलीकरण और डिब्बाबन्दी।

खण्ड—ब

अलंकृत बागवानी एवं पुष्टोत्पादन का महत्व। अलंकृत बागवानी के तरीके एवं भाग। शोभाकारी उद्यान में वृक्षों, झाड़ियों, लताओं, पाम, सरस एवं मौसमी पुष्पों का प्रयोग। गुलाब, चमेली, कारनेसन, गेन्दा, रजनीगन्धा और ग्लेडियोलस के उत्पादन में समग्र कृषि क्रियायें। अलंकृत पौधों में वृद्धि नियामकों का प्रयोग। लूज, कट एवं शुष्क पुष्प (झाई पुष्प)। औषधीय, सुगंधित और मसाले वाले पौधे।

पर्यावरण विज्ञान

प्रथम प्रश्न—पत्र

खण्ड—अ

- पर्यावरण विज्ञान का मूल, परिभाषा, अर्थ, सम्भावित कार्यक्षेत्र, पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन का महत्व।
- पर्यावरणीय खण्ड: भूमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल, उनके विस्तार, संयोजन तथा उनके वीच पारस्परिक सम्बन्ध।
- पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय सिद्धान्त, पारिस्थितिकीय शब्दकोष तथा परिभाषायें संगठन का स्तर, आवास एवं निवास, व्यक्तिगत, प्रजाति, आबादी, समुदाय, जीवोम तथा पारिस्थितिकीय तंत्र का संगठन।
- पारिस्थितिकीय अनुक्रम, जलीय तथा मरुस्थलीय अनुक्रम, पराकालीय व अनुक्रमिक समुदायों की अवधारणा।
- इकोतंत्र की अवधारणा, जैविक एवं अजैविक घटक, इकोतंत्र के संरचनात्मक एवं कार्मिक गुण, उत्पादकता ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल तथा पारिस्थितिकीय (पिरामिड्स) सूची स्तम्भ, स्थलीय व जलीय इकोतन्त्र।
- कार्बन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के भूजैविक— रसायनिक चक्र एवं जलीय चक्र।

खण्ड—ब

- प्राकृतिक संसाधन— जल, इसके स्रोत, सतही एवं भूजल, जल का वैशिक वितरण एवं उपयोग, जल त्रासदी एवं संरक्षण रणनीति।
- भारत की मृदा एवं भूसंसाधन व उनके उपयोग, संरक्षण रणनीति, समग्रित भूमि उपयोग की योजना।
- खनिज एवं पदार्थ— उनके उपयोग एवं खनन परिचालन।
- भारत के वन संसाधन, वन प्रक्षेत्र, सामूहिक एवं सामाजिक वानिकी, वनीकरण कार्यक्रम, वन संरक्षण एकत एवं राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति।
- जैव विविधता और इसका महत्व, कीस्टोन प्रजाति और हाट स्पाट, जैव विविधता का मापन, जैव विविधता हास के कारक, जैवविविधता का संरक्षण—स्वरूपी एवं बहिरुपी संरक्षण, जैविक विविधता एकत।
- भारत के वन्य जीव अभयारण व राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षित जीवोस्फियर की अवधारणा
- पुनर्नवीनित (रिन्यूवेबुल) व अपुनर्नवीनित (नान रिन्यूवेबुल) उर्जा स्रोत व उनका इष्टतमीकरण।

पर्यावरण विज्ञान

द्वितीय प्रश्न—पत्र

खण्ड—अ

- पर्यावरणीय विघटन, मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, सूखा, बाढ़ और मरुस्थलीकरण— प्रक्रियायें, कारक व उनके प्रशमन के उपाय।
- पर्यावरण प्रदूषण— वायु प्रदूषण—श्रोत, पौधों, जानवरों, मनुष्यों व स्मारकों पर उनके प्रभाव और उनके नियंत्रण के तरीके, वायु गुणवत्ता मानक
- जल प्रदूषण के प्रकार व मुख्य श्रोत, जलीय तन्त्र के भौतिक, रसायनिक व जैविक गुणधर्म पर जल प्रदूषकों के प्रभाव, यूट्रोफीकेशन की प्रक्रिया व नियंत्रण, जल के प्रदूषकों से पैदा होने वाली बीमारियाँ।
- मृदा प्रदूषकों के प्रकार व मुख्य श्रोत, मृदा प्रदूषकों के मृदा की उर्वरता व जैविक गुणों पर प्रभाव।
- ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख श्रोत, ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव।
- मानव जनित व अन्य जैविक सक्रियतायें— चराई, जलन, खनन इत्यादि तथा उनका कृषि एवं पर्यावरण पर प्रभाव, औद्योगिकीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव।
- वैशिक पर्यावरणीय समस्याओं का परिचय जैसे अस्त वर्षा, ओजोन परत क्षरण, हरित गृह गैसेस तथा वैशिक तापन और जलवायु परिवर्तन।
- ठोस अपशिष्ट निस्तारण व इसका पर्यावरण पर प्रभाव व प्रबन्धन, घरेलू औद्योगिक तथा शहरी प्रक्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, अपशिष्ट से उर्जा उत्पादन।

खण्ड—ब

- पर्यावरणीय प्रबन्धन का परिचय एवं सम्भावित कार्यक्षेत्र, पर्यावरणीय नीतियाँ और पारिस्थितिकी के धर्म।
- टिकाऊ विकास की मूल अवधारणा, औद्योगिक परिस्थितिकी, पुनर्शक्तीय उद्योग।
- पर्यावरण के मूल नियम एवं नीतियाँ जैसे पर्यावरण संरक्षण, एकत, वायु एकत, जल एकत।
- राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय तरत पर्यावरण संरक्षण हेतु रणनीतियाँ तथा उनके संस्थान।
- जनसंख्या और पर्यावरण, वाहन क्षमता की अवधारणा और जनसंख्या नियंत्रण।
- प्राकृतिक विपदायें, चक्रवात, बवण्डर, भूकम्प, हिमस्खलन, भूस्खलन व ज्वालामुखी के कारण व प्रभाव, आपदाओं की चेतावनी शमनीकरण, तैयारियाँ एवं प्रबन्धन।
- पर्यावरणीय शिक्षा एवं जागृति, पुनर्स्थापन, पारिस्थितिकी की अवधारणा एवं प्रयोग।
- भारत में पर्यावरण प्रबन्धन हेतु तत्कालिक चुनैतियाँ एवं प्राथमिकतायें।

परिशिष्ट—7

पदों की संगत सेवानियमावलियों का विवरण

1. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982 (यथा संशोधित)
2. उत्तर प्रदेश उद्योग (हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय) सेवा नियमावली, 1993 (यथा संशोधित)
3. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2001 (यथा संशोधित)
4. उत्तर प्रदेश श्रम सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित)
5. उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग शोध संस्थान (वैज्ञानिक शाखा) सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित)
6. उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) अभियोजन सेवा नियमावली, 1979 (यथा संशोधित)
7. उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग (खाद्य सुरक्षा संवर्ग) (समूह—क, ख और ग) सेवा नियमावली 2012 (यथा संशोधित)
8. उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015
9. उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण जिला प्रशासनिक अधिकारी सेवा नियमावली, 1992
10. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित)
11. उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल / प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 (यथा संशोधित)
12. उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा—परीक्षा सेवा नियमावली, 2015
13. उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा नियमावली, 1979 (यथा संशोधित)
14. उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली, 1987 (यथा संशोधित)